ELECTRICITY CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM : CHANDBAD : BHOPAL 462 010.

Phone:-2747352, E-mail ecgrfbpl.bhopal@gmail.com,

No.ECGRF/Orders/1444Bhopal, Date:28-03-2019

To,
The Webmaster,
O/o DGM (IT),
MPMKVVCL, Nishtha Parisar,
Govindpura, Bhopal 462 023.

Sub:- Submission of Orders passed by the Forum, Bhopal in the month ofFebruary.'2019

…

In compliance to provision made under clause 3.32 of Electricity Regulation (Revision-I) 2009, the orders passed by this forum during the month of February.'2019 as detailed below are being sent herewith, both in hard and soft copy (E-mail) for uploading on the company's web site.

February2019

S.No.	Case No.&Dt.	Name of Applicant	Name of Non-applicant	Order Date
1	बी.टी./25 03.01.2019	श्रीमति आदर्श बाला भटनागर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल ।	20.02.2019
2	जी.टी/45 16.07.2018	श्री रमेश चंद्र बॉथम पुत्र श्री सी.एल. बाथम, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	12.02.2019
3	जी. टी/5013. 08.2018	श्री अनुप जैन पुत्र श्री ज्ञानचंद्र जैन भिण्ड़।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग,म.प्र. म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भिण्ड।	13.02.2019
4	जी.टी/51 13.08.2018	श्री भूपसिंह श्री फेरन सिंह आर. ई.एस.–2, , ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग, आर.ई.एस.म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	14.02.2019
5	जी.टी./63 10.09.2018	श्रीमति सुशीला देवी खण्डेवाल, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	14.02.2019
6	जी.टी./68 10.09.2018	श्री अजय कुल श्रेष्ठ, डी.डी. नगर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	15.02.2019
7	जी.टी. /7216.10. 2018	श्री बलवीर वर्मा/स्व. श्री कामता प्रसाद, डी.डी. नगर ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	15.02.2019
8	जी.टी./83 13.08.2018	श्रीमति राधारानी इन्फाकोन प्रा. लि. एबी. रोड. मुरैना।	उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग–1, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. मुरैना।	16.02.2019
9	जी.टी./93 16.01.2019	श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री नरोत्तम सिंह थाटीपुर, ग्वालियर।	उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर।	28.02.2019

Encl: (09) Orders A/a.

CHAIRPERSON

ECGRF BHOPAL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 02 / 2019

प्रति,
श्रीमति आदर्श बाला भटनागर,
म.न. 19, गली न. 1, इब्रहिमगंज,
बस स्टेंड हमीदिया रोड़ भोपाल(म.प्र.)

विषय :–प्रकरण क्रमांक BT-21/2019दिनॉक 03.01.2019 में फोरम के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक BT-21/2019दिनॉक 03.01.2019) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनॉक 20.02.2019 को कर दिया गया है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक शहर संभाग (उत्तर)म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि भोपाल। (म.प्र.) –ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक बी.टी.–21/2019दिनॉक 03.01.2019 में फोरम के निर्णय दिनांक 20.02.2019इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.बी.टी/21/2019

03.01.2018

श्रीमति आदर्श बाला भटनागर,
म.न. 19, गली न. 1, इब्रहिमगंज,(आवेदक)
बस स्टेंड हमीदिया रोड़ भोपाल (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,शहरसंभाग(उत्तर)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भोपाल। (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक20.02.2019 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा बी.टी/21दिनॉक 03.01.19 को पंजीकृत कर दिनॉक 22.01.2019, 29.01.2019 एवं 05.02.2019को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–**आवेदिकाकी ओर से दिनांक 22.01.2019 को श्रीमति मनीषा भटनागर द्वारा उपस्थित होकर अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन किया एवं अपना पूर्व में प्रस्तुत आवेदन प्रस्तुत कर बताया किमैं श्रीमति आदर्श बाला भटनागर आयु 78, कनेक्शन क्रमांक 1489455000, मीटर क्रमांक 679098, म.न. 19, गली न. 1, इब्राहिमगंज भोपाल की निवासी विधवा वृद्ध महिला हूॅ। मैं कभी–2 ही भोपाल आती जाती हूॅ। अधिकतर बच्चों के पास भोपाल से बाहर रहती हूॅ। साल में 1–2 बार ही क्रमशः भोपाल आती हूॅ।

मैं अपना बिजली का बिल लगातार यहॉ न होने पर भी पड़ोसी से (मीटर का किराया) लगभग राशि रू. 120/– के आसपास जमा कराती थी जिसकी रसीद संलग्न है। उसके बावजूद अचानक राशि रूपये 4000/– के आसपास मेरा बिल आया जिस वजह से में लगातार बिल नही भर पाई। क्योकिं जब में पूरा बिल भराकर गई और मीटर का किराया लगातार भर रही थी तो इसका प्रश्न ही नही उठता। इसलिये हमने उसके बाद से बिल लगातार नही भरा। कई बार बीच–2 में पैसे भरे। लास्ट बार 18.08.2017 में राशि रूपये 2000/– भरे इसके बाद में लगातार रह रही थी।

(आर.के. लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर.....

मैं कई बार–2 आवेदन दे चुकी हूॅ लगभग 4–5 बार इस बारे में कि मेरा बंद मकान का राशि रूपये 8000/– से 12000/– बिल आता रहा है। बार–बार ये परेशानी मुझे इस वृद्ध अवस्था में हो रही चक्कर काट सकती बिजली विभाग के द्वारा कोई सुनवाई नही। मुझे जवाब मिल रहा है कि जितनी यूनिट पूरे इब्राहिमगंज में जली और उसका भुगतान प्रमुख मीटर के हिसाब से कम हुआ तो सबको बिल बाटकर आ जाता है। मैं गरीब हूॅ अपना ही बिल उधाार ले लेकर भरती हूॅ। इतना बिल भरने में असर्मथ हूॅ।

आपसे निवेदन है कि मेरा बिल सुधार और माफ करके सिर्फ मीटर का किराया लिया जाये जो कि 60 रूपये के आसपास है या कोई योजना तो गरीब विधवा और 78 वर्ष आयु, वृद्ध लोगों के लिए अगर कोई है तो उसका मुझे लाभ प्राप्त किया जाए। आपकी मुझ वृद्ध पर अति कृपा होगी साथ ही इस आवेदन की प्राप्ती रसीद दी जाये।

अब मकान फिर से बंद रहेगा यहा पर आने वाले विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी जानते है कि मैं मकान बंद रहता है फिर भी इतना बिल किस आधार पर देते है और मेरी परिस्थितियो से ज्ञात है कई बार चक्कर लगा चुकी हूॅ। बिजली घर के। कृपया कोई कार्यवाही करे, अति कृपा होगी।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक की ओर से श्री रवि रंजन, सहायक यंत्री बस स्टैंड जोन भोपाल, आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में दिनांक 05.02.2019 को फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि उपभोक्ता श्रीमति आदर्श बाला भटनागर/श्री एस.एन. भटनागर द्वारा माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है।

उपभोक्ता के विद्युत देयक में निम्नानुसार आवश्यक सुधार कर दिया गया हैः–

क्रमांक	दिनांक	क्रेडिट राशि	अवधि
1.	18.03.16	20,000/–	फरवरी 15 से दिसम्बर 15
2.	29.03.16	5684/–	फरवरी 15 से दिसम्बर 15
3.	21.11.16	16078/–	नवम्बर 16
4.	09.11.17	865/–	अगस्त 16

इस प्रकार उपभोक्ता को माह फरवरी 2015 से नवम्बर 16 की अवधि में कुल राशि रूपये 42,627/– की क्रेडिट दी जाकर विद्युत बिलों में समायोजन किया जा चुका हैं। इस संबंध में उपभोक्ता को भी अवगत करा दिया गया हैं। उपभोक्ता द्वारा दिनांक28.01.2019 को वर्तमान विद्युत देयक की राशि रूपये 11,873/– दिनांक 28.01.2019 को जमा करा दी गई हैं। उपभोक्ता द्वारा माह अक्टूबर 2014 से माह अगस्त 2017 तक एवं

माह नवम्बर 2017 से माह दिसम्बर 2018 तक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।

अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत शिकायत के निराकरण के संबंध में दिनांक 05.02.2019 को अपने लिखित कथन में बताया कि उपभोक्ता द्वारा माह अक्टूबर 2014 से माह अगस्त 2017 तक तथा माह नवम्बर 2017 से माह दिसम्बर 2018 तक कोई भुगतान नही किया गया। फिर भी उपभोक्ता के बिलों में संशोधन की कार्यवाही करते हुये पूर्व में दिनांक 18.03.2016 को राशि रूपये 20000/– दिनांक 29.03.2016 को राशि रूपये 5684/–, दिनांक 21.11.2016 को राशि रूपये 16078/– एवं दिनांक 09.11.2017 को राशि रूपये 865/– इस प्रकार कुल राशि रूपये 42627/– का क्रेडिट उपभोक्ता के बिलों में पूर्व में ही दिया जा चुका है तथा जिसके संबंध में उपभोक्ता को विस्तार से मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया। उपभोक्ता द्वारा भी दिनांक 28.01.2019 को भुगतान योग्य राशि वर्तमान देयक राशि रूपये 11873/– का भुगतान करा दिया गया है। इस प्रकार आवेदिका की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

दिनांक 29.01.2019 एवं दिनांक 05.02.2019 की सुनवाई तिथि को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। चूकिं अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के बिलों में आवश्यक संशोधन पूर्व में ही कर दिया गया तथा उपभोक्ता द्वारा भी भुगतान योग्य राशि का भुगतान कर दिया गया है। अतः उपभोक्ता, अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है, प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 20.02.2019
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	(एस.एस.मंडलोई)	राजीव अग्रवाल
सदस्य(राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	(अध्यक्ष)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक / 02 / 2019

प्रति,
श्रीमति सुशीला देवी खण्डेलवाल,
द्वारा तन्वी खण्डेवाल,
होटल मयूर, स्टेशन रोड़, पड़ाव,
ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 14.02.2019 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–63 / 2018 दिनॉक 10.09.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 14.02.2019 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग (उत्तर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर (म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–63 / 2018 दिनांक 10.09.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 14.02.2019इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (अभियांत्रिकी)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.63/2018

10.09.2018

श्रीमति सुशीला देवी खण्डेलवाल, (आवेदक)
द्वारा तन्वी खण्डेवाल,
होटल मयूर, स्टेशन रोड़, पड़ाव,
ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (उत्तर)(अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर।
(म.प्र.)

आदेश

आज–14.02.2019 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदिका के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/63 दिनॉक 10.09.18 को पंजीकृत कर दिनॉक,12.10.2018, 15.11.2018, 14.12.2018, 10.01.2019 एवं07.02.2019 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभय पक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदिका का कथन :–** आवेदिका ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थिनी 84 वर्षीय एक अति वरिष्ठ विद्युत उपभोक्ता है। प्रति माह मीटर रीडर द्वारा विद्युत मीटर रीडिंग दर्ज करते समय प्रार्थिनी स्वयं भी मीटर रीडिंग का सत्यापन करवाती है एवं तदुपरान्त अपने समस्त विद्युत देयकों का सदैव नियम तिथि से पूर्व भुगतान करती है।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

प्रार्थिनी के विषयांकित विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–18–92–0168692000 की विगत माहों की विद्युत खपत निम्नानुसार हैः

माह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	कुल खपत
दिसम्बर 2017	462596	457210	5386
जनवरी 2018	466344	462596	3748
फरवरी 2018	471356	466344	5012
मार्च 2018	474610	471356	3254
अप्रैल 2018	478241	474610	3631
मई 2018	484319	478241	6078
जून 2018	490491	484319	6172
जुलाई 2018	494667	490491	4176
औसत खपत			4682

किन्तु विद्युत कम्पनी द्वारा माह अगस्त 2018 का विद्युत देयक बिना कोई खपत दर्शाए जारी किया गया। प्रार्थिनी द्वारा विद्युत मीटर देखने पर पाया गया कि मीटर त्रुटिपूर्ण होकर अत्यधिक रीडिंग दिखा रहा है। इस सम्बध में प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 14.08.2018 को आवेदन प्रस्तुत करने पर विद्युत कम्पनी द्वारा दिनांक 04.09.2018 को (दिनांक 5.9.2018 को प्रदत्त) एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार रूपये 2,10,055/– एवं विलम्ब शुल्क रू. 2,626/– इस प्रकार कुल रूपये 2,12,681/– की राशि का देयक जारी किया गया, जिसमें अंतिम तिथि 21.08.2018 दर्शाई गई। विद्युत कम्पनी द्वारा उक्त देयक का भुगतान अतिशीघ्र करने हेतु आदेशित किया गया तथा अन्यथा की स्थिति में विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की धमकी दी गई।

माह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	कुल खपत
अगस्त 2018	523011	494667	28344

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि माह अगस्त 2018 का देयक असाधारण रूप से अत्यधिक राशि का त्रुटिपूर्ण जारी किया गया है, जो विगत अनेक माहों की औसत विद्युत खपत से 500 प्रतिशत से भी अधिक खपत का है, जो कि सम्भव ही नही है एवं प्रार्थिनी उक्त रू. 2,12,681/– की राशि के त्रुटिपूर्ण देयक का भुगतान करने में पूर्णतः असमर्थ है।

उपरोक्त उल्लेखित समस्त देयकों एवं अन्य पत्रों की प्रति श्रीमान के अवलोकनार्थ संलग्न है।

अस्तु निवेदन है कि –

1. माह अगस्त 2018 के उपरोक्त राशि रू. 2,12,681/– के त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक को निरस्त करने की कृपा करे।
2. विद्युत मीटर को अविलम्ब बदलने के आदेश जारी करने की कृपा करे।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

3. माह अगस्त 2018 का संशोधित विद्युत देयक विगत माहों की औसत खपत के आधार पर जारी करवाने की कृपा करे, तथा उसका भुगतान बिना पेनल्टी के करने हेतु न्यूनतम तीन दिवस की अवधि प्रदान करने की कृपा करे, तथा
4. जब तब नवीन सही मीटर नही लगाया जाता तब तक की अवधि का देयक विगत माहों की औसत खपत के आधार पर ही जारी करने हेतु आदेशित करने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदिका की शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्तात श्रीमति सुशीला देवी खण्डेलवाल, खण्डेलवाल भवन, होटल मयूर, स्टेशन रोड़, पडाव, ग्वालियर के उपभोक्ता विद्युत संयोजन क्रमांक 3634670/0168692000 के निराकरण प्राप्त शिकायत के परीक्षण में पाया गया कि :–

1. उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर क्रमांक एमपी 907887 की एम आर आई में मीटर का संचालन सही पाया गया एवं प्राप्त एम आर आई रीडिंग के अनुसार ही असल विद्युत खपत का बिल उपभोक्ता को जारी किया गया।
2. एम आर आई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिमाह मीटर खपत की हिस्ट्री–4 से बढी पायी गई जिससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग अपने परिसर पर किया गया है। इसी दौरान अधिकतम मांग भी बढी हुई दर्ज हुई है, जिसमें हिस्ट्री–2 पर स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग दर्ज पाया गया है।
3. उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर क्रमांक एमपी 907887 पर एम आर आई दिनांक 23.08.2018 को सांय 4 बजकर 04 मिनिट पर की गई। एम आर आई में दर्ज विवरण के अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर माह मई, जून, जुलाई तथा अगस्त 2018 में विद्युत की मांग बढी हुई पायी गई। (एम आर आई छाया प्रति संलग्न)

इस प्रकार से उपभोक्ता को जारी विद्युत देयक माह अगस्त 2018 एवं उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर का संचालन सही पाया गया। अतः उपभोक्ता द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित शिकायत का निराकरण कर, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक–उमप्र/नसउ/विजी/3337–38 दिनांक 27.09.2018 से उपभोक्ता को सूचित कर विद्युत बिल शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान का लेख किया गया है। उक्त पत्र की प्रति आपके कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गई है।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, फोरम की विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपने–अपने कथन एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

दिनांक 12.10.2018 को आवेदिका श्रीमति लवली खण्डेलवाल, द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया किप्रार्थी द्वारा नियमित बिल जमा करता रहा है, प्रार्थी की विगत 2 वर्षो की खपत देखी जाये तो खपत के अनुसार 4000 से 5000 तक के मध्य रही है, जिसका बिल हमें दिया जाता रहा है, जिसका हम नियमित बिल जमा करते रहे है। जिसका विवरण हमारे द्वारा अगस्त 2018 में 28344 रीडिंग का बिल राशि रू. 2,12,681/– का दिया गया। हमारे द्वारा कार्यालय में पूछे जाने पर हमें कार्यालय में कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया गया एवं हमारे कनेक्शन को काटने की धमकी लिखित में दी गई है। फोरम के हस्तक्षेप के बाद कनेक्शन के विच्छेदित तो नही किया, परन्तु बिल की राशि का कोई समायोजन नही किया गया। अतः फोरम से निवेदन है कि राशि रू. 2,12,681/– का विवरण हमें दिलवाया जावे एवं यदि 28344 रीडिंग का एक माह में खपत होना दर्शाया जाता है, तो मीटर के विद्युत कम्पनी के लैब में जांच कराई जावे, जांच की फीस हम जमा करने को तैयार है।

दिनांक 15.11.2018 को आवेदक श्री अशोक कुमार खण्डेलवाल, द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि फोरम के द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है।

1. आवेदिका के विद्युत संयोजन की पासबुक की प्रति संलग्न है।
2. जोन कार्यालय को रीडिंग लेने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ 15.11.2018 को फोरम के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 368–39 दिनांक 16.10.2018 द्वारा जोन कार्यालय के माध्यम से उपभोक्ता को मीटर परीक्षण हेतु सूचित किया गया है। लेकिन उपभोक्ता द्वारा इस बावत् कोई कार्यवाही नही की गई है।
4. आवेदक के विगत 2 वर्षो की रीडिंग की छायाप्रति संलग्न है।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मीटर रीडिंग एजेंसी का कर्मचारी उपस्थित नही हुआ है। आवेदक द्वारा दिनांक 16.10.2018 को विद्युत मीटर की जांच हेतु राशि जमा करने एवं औसत बिल जारी करने हेतु निवेदन किया था। जो अभी तक प्राप्त नही हुआ है। आवेदक मीटर की जांच हेतु आवश्यक राशि आज ही जमा करने हेतु तत्पर है।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि मीटर रीडिंग लेने वाली एजेंसी कम्पनी द्वारा बदलकर अन्य एजेंसी, को रीडिंग का कार्य दिया गया है। अतः पूर्व एजेंसी जिनके द्वारा रीडिंग ली गई थी के कर्मचारी को उपस्थित किया जाना संम्भव नही है।

दिनांक 14.12.2018 को अनावेदक की ओर से फोरम के समक्ष प्रकरण में कथन किया किमाननीय फोरम द्वारा दिनांक 12.10.2018 को दिये गये निर्देशानुसार लैब परीक्षण

में मीटर का परीक्षण किया गया। जिसमें मीटर परीक्षण प्रतिवेदन क्रमांक 52154 13.12. 2018 के अनुसार मीटर पूर्णतः सही है। जिसकी एक प्रति पत्र के साथ संलग्न है एवं विद्युत बिलों में ली गई रीडिंग सही है। अतः माह दिसम्बर 2018 तक विद्युत बिल की राशि 317497/– की राशि सही है एवं भरने योग्य है।

दिनांक 07.02.2019 को आवेदिका की पुत्रवधु श्रीमतितन्वी खण्डेलवाल, द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि मीटर में इक्ठठी रीडिंग दर्ज होने का न होकर मीटर रीडिंग जम्प होने का है, मीटर रीडिंग जम्प होने के कारण अधिक रीडिंग आई है। हमारा मीटर बदल दिया दिया गया। अनावेदक कंपनी द्वारा जो मीटर टेस्टिंग लैब में टेस्ट कराया गया है। उसमें मीटर सही बताया गया है। जिससे हम सहमत नही है। हम अपने स्वयं के खर्च पर अपना मीटर अन्य प्रयोगशाला में टेस्ट कराना चाहते है, जिसके लिये हम नियमानुसार शुल्क जमा करने हेतु सहमत है।

माननीय फोरम के समक्ष अधिकारियों द्वारा सुनवाई के दौरान मुझे एम आर आई में दर्ज 12 माह की रीडिंग के सबंध में एवं खपत के सबंध में जानकारी दी गई तथा यह भी बताया गया कि मीटर में दर्ज खपत आपको दिये गये माह मार्च 2018 से जुलाई 2018 में कम रीडिंग के बिल दिये गये थे, जबकि कारण माह अगस्त 2018 में इक्ठ्ठी यूनिट का बिल दिया गया था।

मुझे जो बताया गया/समझाया गया उससे मै सहमत होते हुये बिल जमा करने हेतु तैयार हूॅ परंतु विवादित बिल प्राप्त होने के बाद मेरी शिकायत के निराकरण होने तक की अवधि में मेरे बिलों में लगाये गये सरचार्ज से मुझे छूट प्रदान की जाये।

आवेदक द्वारा प्रकरण में पुनः कथन किया गया कि विद्युत कंपनी के कर्मचारी की लापरवाही के कारण हमें इक्ठ्ठी यूनिट का बिल जारी किया गया है, जिसके लिये हमारी कोई जिम्मेदारी नही है।

हमारा माननीय फोरम से निवेदन है कि हमें जो इक्ठ्ठी यूनिट का बिल दिया गया है। उसमें लगाये गये सरचार्ज को हटाकर जो संशोधित बिल दिया जाये उसे हमें किश्तों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाये।

फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–आवेदिका एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि श्रीमति सुशीला देवी खण्डेवाल के नाम से एक गैर घरेलू तीन फेज विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–03–20–0168692000 संयोजित विद्युत भार 35000 वाट भवन पड़ाव ग्वालियर में फूलबाग जोन के अंतर्गत है। आवेदिका को हर माह मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत देयक जारी किये गये जिनका भुगतान भी नियमित रूप से किया जाता रहा है। माह

अगस्त 2018 का विद्युत देयक मीटर में दर्ज रीडिंग 523011 दिनांक 31 जुलाई 2018 विद्युत खपत 28344 यूनिट नियत दिनांक को भुगतान योग्य राशि रू. 210055/– का अनावेदक द्वारा आवेदिका को विद्युत देयक जारी किया गया। से असहमत होकर की अनेक माहो की प्रतिमाह औसत खपत से 500 प्रतिशत से अधिक खपत का है।

1. माह अगस्त 2018 का विद्युत देयक राशि रू. 212681/– त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक के निरस्त कर विगत माहों की औसत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित दिये जाने एवं इस पर बिना सरचार्ज न्यूनतम तीन दिवस की अवधि भुगतान करने के लिये दी जावे।

2. विद्युत मीटर टेस्ट करवाया जावे तथा नया विद्युत मीटर लगाया जावे। तथा जबतक नया मीटर नही लगाया जाता है। उस अवधि के विद्युत बिल विगत माहों की औसत खपत के आधार पर दिया जावे।

अनावेदक द्वारा आवेदिका के गैर घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–03–20–0168692000 पर स्थापित विद्युत मीटर क्रमांक MP 907887 मेक सेक्यूर (SEMS) क्षमता 20–100 एम्पीयर को विद्युत वितरण कम्पनी ग्वालियर की निम्नदाब विद्युत मीटर टेस्टिंग प्रयोगशाला में मीटर का परीक्षण दिनांक 13.12.2018 को कराया गया। मीटर परिक्षण में सही पाया गया। विद्युत मीटर की मेमोरी में रिकोर्डड डाटा के अनुसार प्रतिमाह 30 व 31 दिन की प्रतिमाह खपत तथा रीडिंग डायरी में नोटप्रति माह विद्युत खपत का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदिका को प्रतिमाह मीटर रीडर द्वारा ली गई रीडिंग के अनुसार विद्युत खपत एवं मीटर की मेमोरी में दर्ज प्रतिमाह खपत में अंतर पाया गया। क्याकिं मीटर रीडर द्वारा माह जनवरी 2018 से जुलाई 2018 की अवधि में मीटर से जो रीडिंग नोट की है वह महिने की अंतिम तारिक को दिन के समय नोट की गई जबकि विद्युत मीटर में महिने की प्रथम दिन यानि के 1 तारिक का 00:00 घण्टे या 12 बजे रात को माह के अंतिम घण्टे के बाद मीटर रीडिंग दर्ज होती है। अतः मीटर रीडर द्वारा नोट की गई कम रीडिंग के अनुसार प्रतिमाह कम खपत दर्ज हुई है। इसलिये माह अगस्त 2018 में 31 जुलाई 2018 को रीडिंग 523011 एवं विद्युत खपत 28344 यूनिट जो कि मीटर रीडर द्वारा जनवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि में कम रीडिंग नोट करने के कारण मीटर में दिनांक 31 जुलाई 2018 को इक्ट्ठी रीडिंग दर्ज होने से माह अगस्त के विद्युत खपत 28344 दर्ज हुई है। जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन करने पर वर्ष बार प्रतिमाह औसत खपत से भी होती है।

वर्ष	औसत खपत
2014 में	5696 यूनिट
2015 में	6077 यूनिट
2016 में	6971 यूनिट
2017 में	7376 यूनिट
2018 में नवम्बर 2018 तक	7172 यूलिट

फोरम के समक्ष आवेदिका प्रतिनिधि को विद्युत मीटर की कार्यप्रणाली सही कार्य कर रही है तथा मीटर रीडर के द्वारा प्रतिमाह कम रीडिंग नोट करने के कारण माह अगस्त 2018 में इक्ट्ठी विद्युत खपत मीटर में दर्ज हुई है जो कि विद्युत मीटर की मेमोरी में भी है। की समझाने पर फोरम के समक्ष 28344 यूनिट के विद्युत देयक से सहमत हो गये है।

उपरोक्त विवेचना के उपरांत फोरम ने यह पाया गया कि आवेदिका के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर क्रमांकMP 907887 मेक सेक्यूर (SEMS) की कार्यप्रणाली सही पाई गई है। मीटर रीडर द्वारा जनवरी 2018 से जून 2018 की अवधि में मीटर से कम रीडिंग नोट करने के कारण 31 जुलाई को मीटर में सही वास्तविक रीडिंग लेने के कारण पूर्व माहों की इक्ट्ठी खपत 28344 यूनिट दर्ज हुई है। जो कि सही है। अनावेदक द्वारा आवेदिका को माह अगस्त 2018 का विद्युत खपत 28344 यूनिट नियत दिनांक तक भुगतान योग्य राशि रू. 210055/–जारी किया गया। बिल फोरम द्वारा मीटर में दर्ज खपत के अनुसार सही पाया गया। जिससे आवेदक की ओर से भी अपनी सहमति व्यक्त की गयी। परन्तु चूंकि अनावेदक द्वारा आवेदक के मीटर की पूर्व में कम–कम रीडिंग ली गयी तथा बाद में इक्ट्ठी रीडिंग का बिल जारी किया गया। जिसके लिये आवेदक का कोई दोष नही है। कंपनी के उच्च मूल्य उपभोक्ता (High Value Consumer) के साथ की गई सेवा में कमी के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करे। अतः यदि आवेदक से इस प्रकार बढ़े हुये बिल विवादित बिल पर कोई अधिभार की राशि वसूली गयी हो तो उसे आवेदक के आगामी विद्युत बिल में क्रेडिट समायोजन किया जाये एवं आवेदक के निवेदन पर उसे किश्तों में जमा की जाने की सुविधा भी प्रदान की जावे।

प्रकरणनिराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 14.02.2019
स्थान : भोपाल।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / / 02 / 2019 भोपाल, दिनांक

प्रति,
श्री बलवीर वर्मा / स्व. श्री कामता प्रसाद,
सरला फार्म, सूर्य मन्दिर रोड, डी.डी.नगर
ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 15.02.2019 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–73 / 2018 दिनॉक 16.10.2018) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक15.02. 2019 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग(पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर(म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–72 / 2018 दिनांक 16.10.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15.02.2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.72/2018

16.10.2018

श्री बलवीर वर्मा/स्व. श्री कामता प्रसाद,
सरला फार्म, सूर्य मन्दिर रोड, डी.डी.नगर (आवेदक)
ग्वालियर (म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व), (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज–15.02.2019 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/72 दिनॉक 16.10.18 को पंजीकृत कर दिनॉक, 15.11.2018, 14.12.2018, 10.01.2019एवं 07.02.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किप्रार्थी श्री बलवीर वर्मा पुत्र श्री स्व. श्री कामता प्रसाद वर्मा का विद्युत कनेक्शन वर्ष 2015 में काट दिया गया था एवं मीटर भी निकाल लिया गया था। श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त कनेक्शन प्रार्थी के पिताजी के नाम था, हमारे पिता जी का देहान्त 08.09.2013 को हो गया था। प्रार्थी ने 31.03.2017 को 50,000/– रूपये का बिल जमा करवायी थी। इसके बाद विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी को माह सितम्बर 2018 में लगभग 1,35,000/– रूपये का बिल जमा करने के लिये दिया गया है। जिस प्रार्थी जमा करने में असमर्थ है। क्योकि प्रार्थी टेम्पू चालक है। अतः श्री मान जी से अनुरोध है कि शासन द्वारा चलाई गई सबंल योजना के तहत बिल माफ कर पुनः कनेक्शन चालू करवाने की कृपा करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक को शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्री बलवीर वर्मा सूर्य, मंदिर रोड सरला फार्म गोले का मंदिर ग्वालियार सर्विस क्र. 3008392000 जो कि कामता प्रसाद वर्मा के नाम से संबल योजना के तहत बिल माफ करवाने बावत् शिकायत दर्ज करायी है।

उपरोक्त विद्युत कनेक्शन क्र.3008392000 पूर्व से दिनांक 24.08.2016 को बकाया राशि रूपये 130359/– पर स्थायी रूप से विच्छेदित हो चुका है।

आवेदनकर्ता के सबंल योजना के तहत बिल माफी से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नही किये गये है।

श्री दीपक परिहार टी.ए. ग्रेड–1 की चैक रिपोर्ट दिनांक 14.11.2018 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर डायरेक्ट तारो से विद्युत का उपयोग पाया गया।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय :–**प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 15.11.2018को अनावेदक श्री जी.एम. अग्रवाल कार्या. सहायक श्रेणी–3 द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया किउपभोक्ता के यहॉ स्थापित मीटर बकाया राशि रूपये 130359/– होने पर दिनांक 24.08.2016 के स्थाई रूप से विच्छेदित कार दिया गया है, आवेदक द्वारा संबल योजन में बिल मॉफ करने हेतु शिकायत की गई है, इस सम्बंध में लेख है, कि उपभोक्ता द्वारा संबल योजना के तहत बिल माफी से सम्बधित दस्तावेज कार्यालय में जमा नही कराये गये। जिसके कारण बिल माफी योजना का लाभ नही दिया गया, दिनांक 14.11.2018 को उपभोक्ता के परिसर की जांच करने पर मीटर नही पाया गया, एवं उक्त परिसर में पोल पर डारेक्ट तार डालकर विद्युत की चोरी होती पाई गई, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता का पंचनामा धारा 135 के अंतर्गत पंचनामा क्र. 113326/08 दिनांक 14.11.2018 को बनाया गया है, अतः आवेदक को संबल योजना का लाभ दिया जाना संम्भव नही है। अतः प्रकरण को समाप्त करने का कष्ट करे।

दिनांक 14.12.2018 को अनावेदक श्री जी.एम. अग्रवाल कार्या. सहायक श्रेणी–3 द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया किप्रकरण में पूर्व में ही जबाव प्रस्तुत किया जा चुका है। पुनः दिनांक 15.11.2018 को धारा 135 के तहत बनाया गया पंचनामा जिसमें उपभोक्ता द्वारा पूर्व में कनेक्शन दिनांक 24.08.2016 के पी.डी.सी होने के पश्चात दिनांक 15.11.2018 निरीक्षण के दौरान दो हरे रंग के तार पोल पर डालकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग पाये जाने पर विद्युत चोरी का प्रकरण पंचनामा क्र. 113326/08 दिनांक 15.11.2018 को बनाया गया था की प्रति फोरम के समक्ष प्रस्तुत है। उक्त पंचनामे के विरूद्ध कि गई बिलिंग उसमें सिविल दयित्व राशि रूपये 27929/– एवं समझौता राशि रूपये 4000/– कुल राशि रूपये 31929/– की गई है।

दिनांक 07.02.2019 को अनावेदक श्री अमित शर्मा एवं श्री महेश बाजपेयी, द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया कि पंचनामा मौके पर ही बनाया

गया एवं लोड का विवरण स्वयं जांचकर भरा है। आवेदक को संबंल योजना का लाभ इसलिये नही दे पाये कि उसने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये एवं विधान सभा चुनाव के कारण पोर्टल भी बंद हो गया है।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि हमारे द्वारा माह अगस्त/सितम्बर 2018 के संबंल योजना में बिल माफी हेतु पूरे दस्तावेज जोन कार्यालय डी.डी. नगर में श्री प्रदीप, कम्प्यूटर ऑपरेटर को दिये गये थे। इसके बावजूद भी हमारा बिल माफ नही हुआ एंव संबंल योजना का लाभ नही दिया गया।

फोरम द्वारा आवेदक के पूछा गया कि जो पंचनामा दिनांक 15.11.2018 को बनाया गया है उस समय आप मौके पर उपस्थित थे जिस पर आवेदक द्वारा बताया गया कि नही हम उस समय मौके पर उपस्थित नही थे उस समय हम अपने मकान में ताला लगाकर अपने खेती किसानी के के कार्य से अपने गॉव अटेर गये हुये थे। नीचे वाले हिस्से में हमारा भी श्री रामवीर श्री वास पिछले 20–22 वर्ष से निवास करते है दिनांक 15.11.2018 को अधिकारियों द्वारा पंचनामा में चैकिंग के दौरान जो विद्युत भार दर्ज किया गया है, वह हमारे भाई के मकान का ही विद्युत भार लिखा गया है। अतः चैकिंग की राशि उसके वास्तविक उपयोगकर्ता श्री रामवीर श्रीवास से वसूल की जाये। मेरे द्वारा अपना पुराना पी.डी.सी कनेक्शन जो पिता जी के नाम से था जिनका पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है को चालू करवाने या मुझे नया कनेक्शन देने हेतु पुरानी बकाया राशि में रूपये 50,000/– दिनांक 31.03.2017 को जमा किये थे तथा साथ ही अधिकारियों के कहने पर कि आपका मीटर लग जायेगा आप 200/– रूपये ओर जमा कर दे, जिस पर मेरे द्वारा रूपये 200/– की रसीद अलग से कटवाई थी। अतः मेरा निवेदन है कि हमें मकान के ऊपर वाले हिस्से में हमारे नाम से कनेक्शन देने की कृपा करे।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि उपभोक्ता के द्वारा संबंल योजना का लाभ लेने हेतु शिकायत की गई थी किन्तु समयावधि में उपभोक्ता द्वारा कोई दस्तावेज कार्यालय में जमा नही कराये गये एवं साथ ही विधान सभा चुनाव 2018 का अधिसूचना लागू हो जाने के कारण वर्तमान पर पोर्टल बंद होने के कारण किसी भी प्रकार का नया रजिस्ट्रेशन नही किया जा रहा है। यदि पोर्टल शासन द्वारा खोला जाता है एवं आवेदक द्वारा दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है तो उनकी प्रर्विष्ट पोर्टल में की जा सकेगी। साथ ही उपभोक्ता पर बकाया राशि होने के कारण दिनांक 24.08.2016 को बकाया राशि पर कनेक्शन पी.डी.सी. किया जा चुका है एंव वर्तमान में भी विद्युत का उपयोग डायरेक्ट तार डालकर किया जा रहा है। इस हेतु पूर्व में दिनांक 15.11.2018 को पंचनामा क्र. 113326/08 अण्डर सेंक्सन 135 बनाया जाकर रूपये 31929/– का पूरक देयक परिसर पर पूर्व की बकाया राशि रूपये 1,30,359/– भी वसूली योग्य है। चूॅकिं कनेक्शन 2016 में पी.डी.सी. हो चुका है। अतः उक्त कनेक्शन को रिव्यू नही किया जा सकता है एवं उपरोक्त राशि जमा करने के पश्चात ही नया कनेक्शन उपभोक्ता के आवेदन पर दिया जा सकेगा।

अतः प्रकरण में उपरोक्त राशि जमा करने हेतु उपभोक्ता को निर्देशित करते हुये प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री बलवीर वर्मा/स्व. श्री कामता प्रसाद सरला फार्म सूर्य मंदिर रोड़ डी.डी. नगर ग्वालियर द्वारा एक आवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता स्व. श्री कामता प्रसाद के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424902–46–18–3008392000 था। जिसे स्थाई रूप से वर्ष 2015 में विच्छेदित कर दिया गया बकाया राशि होने के कारण। पिता जी का देहांत 08.09.2013 को हो गया था। आवेदक द्वारा अपने स्व. पिता जी के नाम के बकाया राशि होने के कारण स्थाई रूप से विच्छेदित विद्युत संयोजन के पुनः चालू करनवाने या आवेदक के नाम से नया विद्युत संयोजन लेने हेतु विद्युत कम्पनी के अधिकारियों के आश्वासन देने पर आवेदक ने बिल की बकाया राशि के विरूद्ध रूपये 50000/– दिनांक 31.03.2017 को भुगतान कर विद्युत संयोजन करने हेतु रूपये 200/– अलग से भुगतान कर रसीद अलग से ली गई थी। के उपरांत भी न तो नया विद्युत संयोजन आवेदक के नाम से दिया गया न ही आवेदक के पिता के नाम का विद्युत संयोजन चालू किया गया। तथा न ही प्रचलित सबल योजना का लाभ देते हुए आवेदक का विद्युत संयोजन चालू किया गया। आवेदक के विद्युत संयोजन पर बकाया राशि रूपये 130359/– होने के कारण दिनांक 24.08.2016 को विद्युत मीटर एवं सर्विस लाईन निकालकर स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था।

फोरम द्वारा प्रकरण की विवचेना में पाया गया कि :–

1. आवेदक के कथन अनुसार अनावेदक द्वारा उससे दिनांक 31.03.2017 को पूर्व में वर्ष 2016 में पी.डी.सी. किये गये कनेक्शन के विरूद्ध बकाया राशि रू.180359/– में से राशि रू. 50000/– रसीद क्र. 2943677 दिनांक 31.03.2017 के माध्यम से जमा कराये गये तथा राशि रू. 200/– रसीद क्र. 2943699 दिनांक 31.03.2017 आर.सी/डी.सी. के मद में इस आशय से जमा कराये गये कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन चालू कर दिया जायेगा। आर.सी/डी.सी के मद में राशि जमा कराने के बाद भी कनेक्शन चालू नही किया गया।
2. आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष म.प्र. शासन द्वारा जून 2018 में लागू की गयी मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 का लाभ प्रदान करने हेतु अपना एक आवेदन सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया, जिसे फोरम कार्यालय में दिनांक 16.10.2018 को दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई तिथि 15.11.2018 निश्चित की गयी। जिसमें अनावेदक को पत्र प्रस्तुत करने हेतु फोरम द्वारा सूचित किया गया। दिनांक 15.11.2018 को अनावेदक की ओर फोरम के समक्ष कथन किया गया कि दिनांक 14.11.2018 को श्री दीपक परिहार टी.ए. ग्रेड–1 द्वारा उपभोक्ता के परिसर की जांच करने पर डायरेक्ट तार द्वारा विद्युत का उपयोग पाये जाने पर मौके पर धारा 135 के अंतर्गत पंचनामा क्र.113326/8 दिनांक 14.11.2018 बनाया गया।

पुनः दिनांक 14.12.2018 की सुनवाई तिथि में अनावेदक की ओर से पंचनामा 113326/08 दिनांक 15.11.2018 प्रस्तुत किया गया जो श्री अमित शर्मा कनिष्ठ यंत्री

तथाश्री महेश बाजपेयी कनिष्ठ यंत्री की उपस्थिति में बनाया जाना दर्शाया गया। फोरम द्वारा अनावेदक के कथनों का एवं दिनांक 14.11.2018 एंव 15.11.2018 के पंचनामा का मिलान

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

करने पर पाया गया अनावेदक द्वारा दोनों दिन बनाये गये पंचनामा का क्रमांक एक ही अर्थात क्रमांक 113326/08 बताया गया। दोनों पंचनामा में विद्युत भार एक सा उपयोग होना बताया गया। दिनांक 14.11.2018 का पंचनामा कामता प्रसाद के नाम से बनाया गया तथा दिनांक 15.11.2018 का पंचनामा बलवीर वर्मा पुत्र स्व. कामता प्रसाद वर्मा के नाम से बनाया गया। दोनों ही पंचनामों में उपयोगकर्ता/उपभोक्ता के हस्ताक्षर नही होना पाये गये।

इस संबंध में दिनांक 07.02.2019 को अनावेदक की ओर से श्री अमित शर्मा एवं श्री महेश बाजपेयी कनिष्ठ यंत्री द्वारा कथन किया कि पंचनामा मौके पर ही बनाया गया एवं लोड का विवरण स्वयं जांचकर भरा गया। जबकि आवेदक बलवीर वर्मा द्वारा बताया गया कि जिस दिनांक को पंचनामा बनाया गया उस समय हम मौके पर उपस्थित नही थे। उस समय हम अपने मकान में ताला लगाकर अपने गांव अटेर गये हुये थे।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनावेदक के अधिकारियों द्वारा आवेदक को समाधान करने की बजाय आवेदक को परेशान करने की नीयत से गैर व्यावसायिक रवैया अपनाते हुये प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि 15.11.2018 के एक दिन पूर्व ही दिनांक 14.11.2018 को अधीस्थ कर्मचारी द्वारा विद्युत चोरी की पंचनामा बनाया गया तथा पुनः दिनांक 15.11.2018 को भी एक ही क्रमांक का पंचनामा बनाया जाना दर्शाया गया। जो स्वीकार येाग्य न होकर निन्दनीय है।

3. आवेदक श्री बलवीर वर्मा द्वारा अपनी लिखित शिकायत में कथन किया कि उसका विद्युत कनेक्शन वर्ष 2015 में काट दिया गया था एवं मीटर भी निकाल लिया गया था। आवेदक के इस कथन की पुष्टि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता पासबुक से भी होती है जिसमें माह जुलाई 2014 से स्थिर रीडिंग 9074 ही दर्शायी गयी है तथा आंकलित यूनिट खपत के आधार पर बिल जारी होना दर्शाये गये है। उपभोक्त पासबुक में दर्ज विवरण के अनुसार उपभोक्ता को माह जुलाई 2014 से नवम्बर 2015 की अवधि में 250 यूनिट से 600 यूनिट आंकलित खपत के बिल जारी हुये। इसके बाद बिना किसी उचित आधार के माह दिसम्बर 2015 में 1000 यूनिट, फरवरी 2016 में 2000 यूनिट, मार्च 2016 में 1000 यूनिट, अप्रैल 2016 में 1500 यूनिट, तथा माह अगस्त 2016 में 800 यूनिट की बिलिंग की गयी। इस प्रकार माह नवम्बर 2015 में बकाया राशि रू.104955/– बढ़कर माह सितम्बर 2016 में रू. 180359/– होग गयी जो कि गलत तरह से की गयी फाल्स डिमांड है तथा जो फोरम के मत अनुसार संशोधन योग्य है। अनावेदक द्वारा आवेदक का कनेक्शन सितम्बर 2016 में पी.डी.सी कर दिया गया राशि रू. 180359/– पर माह उपभोक्ता पासबुक में दर्ज विवरण अनुसार उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग माह जुलाई 2014 में 9074 से आगे नही बढ़ी। यह तभी संभव हो सकता है जब या तो मीटर डिफेक्टिव होकर बंद हो जाये अथवा उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन बकाया राशि पर विच्छेदित कर दिया जाये। यहां उपभोक्ता पर माह जुलाई 2014 में बकाया बिल राशि रू.56925/– होने पर

कनेक्शन विच्छेदित कर दिये जाने की पूरी संभावना हों म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.27 के प्रावधान अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को

(आर.के. लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर.....

अनुबंध के समापन के लिये पन्द्रह दिवस का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है तथा संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर सकता है। अनावेदक द्वारा आवेदक के कनेक्शन पर गलत ढंग से डिमांड बढ़ायी जाकर माह सितम्बर 2016 में कनेक्शन पी. डी.सी. किया गया। जबकि उक्त कनेक्शन अस्थाई विच्छेदन के पश्चात आवेदक के कथनानुसर वर्ष 2015 में मीटर निकाले जाने के तत्तकाल पी.डी.सी. कर दिया जाना चाहिये था। आवेदक अथवा अनावेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह ज्ञात हो सके कि मीटर कब निकाला गया गया। अतः फोरम के मत में उपभोक्ता पासबुक के विवरण के आधार पर आवेदक के कथन कि उसका मीटर वर्ष 2015 में निकाला गया को मान्य करते हुये माह जनवरी 2015 की बकाया बिल राशि रू. 74252/– पर कनेक्शन पी. डी.सी. किया जाना चाहिये।

4. जैसा कि आवेदक द्वारा अपनी शिकायत के साथ अपने परिवार का विवरण एवं श्रमिक पंजीयन तथ अन्य संलग्नक लगाकर निवेदन किया गया कि उसे शासन की संबल योजना का लाभ प्रदान कर नया कनेक्शन प्रदान किया जाये। उल्लेख है कि शासन एवं अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बकायादार घरेलू उपभोक्ता तथा अन्य बकाया दार स्थायी रूप से विच्छेदित घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्य धारा में शामिल किये जाने के उदेश्य से समय समय पर बकाया राशि समाधान योजना अथवा बकाया बिल माफी स्कीम लागू की गयी। जिसमें बकाया राशि माफ करने के साथ शेष राशि आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा भी बकायादार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान की गयी तथा बंद घरेलू कनेक्शनों को चालू करने के साथ–साथ विद्युत अधिनियम की धारा 126 , 135 एवं 138 के अंतर्गत किये गये बिल की बकाया राशि भी माफ की गयी तथा विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही की गयी।

अतः उपरोक्त की गयी विवेचना के आधार पर फोरम द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि :–

1. आवेदक के विरूद्ध धारा 135 के अंतिम बनाये गये विसंगति पूर्ण पंचनामा को निरस्त किया जाये।
2. आवेदक का विद्युत कनेक्शन माह सितम्बर 2016 के स्थान पर माह जनवरी 2015 में बकाया राशि रूपये 74252/– पर पी.डी.सी. करते हुये, चूंकि आवेदक द्वारा बकाया राशि में से 50000/– की राशि जमा की जा चुकी है, शेष राशि रूपये 24252/– को समय समय पर लागू योजनाओं के अंतर्गत शासन की मंशा अनुसार एवं अनुज्ञप्तिधारी कंपनी अपने व्यवसाय के हित में आवेदक को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की जाये।
3. अनावेदक कंपनी के विद्युत वितरण व्यवसाय के हित में कार्यवाही करते हुये आवेदक से आवश्यक दस्तावेज लेकर उसे विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 7.29 के अनुसार विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाये।

अतः प्रकरण निराकृत होकर समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत

आदेश : पारित

दिनांक :15.02.2019

स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया)	**(एस.एस.मंडलोई)**	**(राजीव अग्रवाल)**
सदस्य (राजस्व एवं लेखा)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल–ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / / 02 / 2019 भोपाल, दिनांक

प्रति,
श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री नरोत्तम सिंह,
एम.आई.जी. 1077, न्यू दर्पण कालोनी, थाटीपुर,
ग्वालियर(म.प्र.)

विषय : फोरम के निर्णय दिनॉक 28.02.2019 के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–93 / 2019दिनॉक 16.01.2019) का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल, द्वारा दिनांक 28.02. 2019 को किया जा चुका है। पारित निर्णय की प्रति, इस पत्र के साथ संलग्न कर, निःशुल्क प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

प्रतिलिपि –

1. उपमहाप्रबंधक, शहर संभाग(पूर्व) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ग्वालियर(म.प्र.) की ओर प्रेषित करते हुए लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–93 / 2019 दिनांक 16.01.2019 में फोरम के निर्णय दिनांक 28.02.2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति

सदस्य (राजस्व एवं लेखा)
वि.उ.शि.नि. फोरम,
चांदबड़ भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र.जी.टी.93/2019

16.01.2019

श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री नरोत्तम सिंह,
एम.आई.जी. 1077, न्यू दर्पण कालोनी, थाटीपुर, (आवेदक)
ग्वालियर(म.प्र.)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
शहर संभाग (पूर्व), (अनावेदक)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज–28.02.2019 को पारित किया गया।,

1. आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा जी.टी/93 दिनॉक 16.01.19 को पंजीकृत कर दिनॉक, 07.02.2018 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्ष फोरम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना – अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक ने अपनी शिकायत के संदर्भ में कथन एवं आवेदन प्रस्तुत कर बताया किप्रार्थी के नाम से एक घरेलू कनेक्शन है, जिसका सर्विस क्रमांक 2424904–97–5–9578403000 है। मेरा मीटर मेरे नाम से है एवं मेरे द्वारा मीटर खराब होने से पूर्व माह जुलाई 2018 के देयक राशि रूपये 2648/– का भुगतान 27 जून 2018 को किया गया है उपरोक्त बिल मीटर रीडर द्वारा में मुझे 22.06.2018 को प्रदत्त किया गया था एवं जुलाई 2018 में मुझे बाहर जाना था इस कारण मैने 27 जून 2018 को माह जुलाई 2018 के देयक का भुगतान कर दिया था। माह जुलाई 2018 में अधिकांश समय घर से बाहर ही रहा लौटने पर 27.07.2018 को मीटर रीडर द्वारा रीडिंग ली गई और मुझे यह बताया कि आपकी रीडिंग अधिक आई है। अतः मेरे अधिकारी आकर चैक करेगें फिर आपको बिल मिलेगा। अगस्त प्रथम सप्ताह में बिल न मिलने पर दिनांक 06.08.2018 को

मैने आपके कार्यालय में आवेदन लगाया दिनांक 09.08.2018 को मीटर जांच हेतु शुल्क 100/– रूपये जमा कराये जाने के बाद 25.08.2018 मेरा मीटर बदला गया इसी दिन मीटर रीडर द्वारा मीटर बदलने के बाद रीडिंग ली गई नये मीटर में प्रारभिक रीडिंग 05 से मेरा नया मीटर प्रारंभ हो गया। मुझे 25.08.2018 को अगस्त माह का बिल राशि रूपये 115322/– का प्रदान किया गया। दिनांक 22.11.2018 को पुनः रीडिंग ली गई जिसमें नये मीटर की रीडिंग 71317 जोडकर कुल खपत 3529 यूनिट बताई गई एवं राशि रूपये 152047/– का बिल दिया गया था। चूंकि मीटर जांच का प्रकरण आपके कार्यालय में लम्बित था। इस कारण मेरे द्वारा देयक की राशि जमा नही कराई गई थी। दिनांक 25. 12.2018 को मीटर रीडर पुनः रीडिंग लेकर मुझे राशि रूपये 17899/– का बिल दिया गया है जिसमें राशि 11 जनवरी 2019 तक जमा कराने की अंतिम समय सीमा दी गई है। देयक में वर्तमान देयक की राशि 488 बताई गई है जिसका भुगतान करने हेतु मैं सहमत हूॅ।

इस देयक में पिछला बकाया राशि रूपये 9627/– बकाया अधिभार 7784 बताया गया है। पिछला माह जुलाई 2018 तक देयक मेरे द्वारा जमा किया जा चुका है अगस्त एवं सितम्बर 2018 को पुराने बिल का बकाया राशि रूपये 1000 से अधिक नही हो सकती है एवं नये मीटर की कुल खपत 103 यूनिट माह अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक देयक मै भुगतान करने को तैयार हूॅ। मेरे द्वारा सदैव देयक नियत दिनांक से पूर्व ही जमा किया गया है एवं इस बार भी विलम्ब मीटर की खराबी के कारण है एवं गलत देयक दिये जाने के कारण मै भुगतान करने में असमर्थ हूॅ। कृपा नये मीटर की बकाया राशि बताये ताकि मै समय सीमा में बिल जमा कर सकूं। माह अगस्त एवं सितम्बर 2018 का सही देयक प्रदान करे।

निवेदन है कि माह नवम्बर 2017 से ही मेरा विद्युत व्यय न्यूनतम है एवं मई एवं जून में भी विद्युत खपत मीटर द्वारा अधिक दर्शित की गई थी तत्समय मेरे द्वारा मीटर खराब होने की शंका नही होने से देयक की राशि जमा करा दी गई थी किन्तु अगस्त के देयक में यह राशि अत्यधिका होने से मेरे द्वारा शिकायत की गई है। निवेदन है या तो माह दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2018 तक की देयक के आधार पर माह अगस्त 2018 एवं सितम्बर 2018 का देयक दिया जावे अन्याथ नये मीटर की खपत के आधार पर आंकलित खपत निकाली जावे। कृपया मुझे अविलम्ब संशोधित बिल प्रदान करें ताकि मै भुगतान कर सकूं।

5. **अनावेदक का कथन :–** अनावेदक ने आवेदक को शिकायत के संदर्भ में कथन एवं जबाव प्रस्तुत कर बताया कि उपभोक्ता श्री कोयलेन्द्र सिंह भदौरिया एच.आई.जी 1077, न्यू दर्पण कालोनी सिटी सेंटर का सर्विस क्रमांक 9578403000 मे बिल सही करने बावत् शिकायत दर्ज कराई गई थी प्रकरण का निराकरण करने हेतु पूर्व में मीटर खराब होने पर लैब में टेस्ट करवाये जाने पर अलग–अलग रीडिंग आने पर तकनीकी रूप से खराब घोषित किया गया था जिसके आधार पर मीटर को खराब मानते हुये पूर्व के 3 माह की औसत खपत माह मई से जुलाई 2018 तक क्रमशः 560+653+383=1596/3 = 532 लिया जाकर माह

अगस्त 2018 एवं सितम्बर 2018 का देयक संशोधित किया जाकर रूपये 136537/– का क्रेडिट सी सी एण्ड बी द्वारा दिया गया है।

उपभोक्ता द्वारा आपके समक्ष उक्त संशोधन से सतुष्ट न होकर सरचार्ज का क्रेडिट भी चाहा गया है। उक्त तारतम्य मे लेख है कि उपभोक्ता के परिसर का पुनः 23.01.2019 को निरीक्षण किया जाने पर नये मीटर की रीडिंग 290 पाई गई एवं उपभोक्ता का देयक में अधिभार की गणना कर माह अगस्त 2018 से दिसम्बर 2018 तक का अधिभार संशोधित कर 7259/– का क्रेडिट पुनः सी सी एण्ड बी से दिया चुका है जो माह फरवरी 2019 के देयक में कम होकर आ चुका है।

उक्त प्रकार उपभोक्ता का शिकायत का पूर्ण रूपेण निराकरण किया जा चुका है एवं वर्तमान माह फरवरी 2019 के देयक अनुसार उपभोक्ता से 11404/– जमा कराये जाना शेष है।

अतः श्रीमान जी की ओर प्रकरण दस्तावेज संलग्न कर निवेदन है कि प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है अतः श्रीमान जी प्रकरण समाप्त करने की कृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णय** :–प्रकरण में, आवेदक एवं अनावेदक द्वारा, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं फोरम को विभिन्न बैठक में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा की गई एवं प्रकरण में विधि द्वारा स्थापित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

दिनांक 07.02.2019को आवेदक श्री कौशलेन्द्र भदौरिया द्वारा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में कथन किया मेरा जून 2018 बिल्ड़ माह जुलाई 2018 तक के विद्युत देयक राशि रूपये 2648/– का भुगतान मेरे द्वारा कर दिया गया था। हमारा माननीय फोरम से यह निवेदन है कि दिनांक 25.08.2018 को हमारा पुराना मीटर निकाल कर नया मीटर लगा दिया गया है। हमें अगस्त 2018 का बिल सितम्बर 2018 में प्राप्त हुआ जिसमें कि राशि रू. 1,15,322/– पिछला बकाया एवं रूपये 1442/– कुल राशि रूपये 1,16,870/– का दिया गया माह सितम्बर 2018 बिल्ड़ अक्टूबर 2018 में पिछला बकाया 1,15,428/– +29831 = कुल राशि रूपये 1,18,735/– अक्टूबर 2018 बिल्ड नवम्बर 2018 में 115532/– + 4383/– = 1,20,0197/– एवं नवम्बर बिल्ड दिसम्बर 2018 में कुल बिल राशि रू. 1,52,0481/– का देयक प्राप्त हुआ था जिसका भुगतान हमारे द्वारा नही किया गया। इस संबध में हमारे द्वारा जोन कार्यालय में शिकायत करने पर दिसम्बर बिल्ड जनवरी 2019 में जो बिल दिया गया है। उसमें पूर्व बकाया हटाते हुये पिछला बकाया 9627 +बकाया अधिभार 7784/– कुल राशि रूपये 17,899/– का दिया गया है। उक्त बिल में जो पिछला बकाया 9627/– रूपये लगाया गया है। वह हमें मान्य नही है। साथ ही लगाया गया अधिभार रूपये 7784/– भी मान्य नही है। अतः हमारे नये मीटर के रीडिंग अनुसार जो भी वास्तविक बिल बनता है। उसका हम भुगतान करने हेतु सहमत है।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया कि आवेदक की शिकायत का पूर्णतः निराकरण किया जा चुका था। आवेदक द्वारा पूर्व सुधार से असहमत होते हुये सुधार की मांग की गई थी, जिसके तारतम्य में दिनांक 23.01.2019 को पुनः निरीक्षण किया गया एवं नये मीटर की रीडिंग 290 पाई गई थी। प्रकरण का पुनः अवलोकन करने पर माह अगस्त 2018 से दिसम्बर 2018 तक के देयकों में लगा सरचार्ज की गणना की जाकर सी सी एण्ड बी द्वारा राशि रूपये 7259/– की क्रेडिट सरचार्ज बावत् और दी गई है। इसके पूर्व एल.टी.एम.टी रिपोर्ट के अनुसार मीटर खराब होने की स्थिति में नियमानुसार उपभोक्ता के मीटर खराब होने के पूर्व की 3 माह की खपत के औसत के आधार पर बिल संशोधित किया गया था एवं माह दिसम्बर 2018 का देयक नये मीटर को वास्तविक खपत अनुसार मात्र 103 यूनिट का लिया जाकर उपभोक्ता को राशि रू. 1,36,537/– का क्रेडिट पूर्व में दिया जा चुका था। इस प्रकार कुल राशि रू. 1,43,796/– का क्रेडिट उपभोक्ता को दिया जाकर प्रकरण का पूर्णतः निराकरण किा जा चुका है। जिससे उपभोक्ता संतुष्ट एवं सहमत है।

आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि हमारे प्रकरण में अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही से हम सहमत है। अतः प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री कैशलेन्द्र सिंह भदौरिया के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424904–97–5–9578403000, 3 फेज संयोजित विद्युत भार 2340 वाट एच.आई.जी. 1077 न्यू दर्पण कालोनी थटीपुर ग्वालियर में स्थित है। के विद्युत देयक मीटर में दर्ज खपत अनुसार हर माह के विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहा है। अनावेदक द्वारा आवेदक को जून बिल्ड़ जुलाई 2018 का विद्युत देयक मीटर में दर्ज रीडिंग 67891/– एवं विद्युत खपत 13532 यूनिट राशि रूपये 115322/– का दिया गया। से असहमत होकर दिनांक 06.08.2018 को विद्युत कंपनी कार्यालय में आवेदन देकर बिल सुधारने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए मुझे विद्युत मीटर टेस्ट कराने का शुल्क राशि रू. 100/– जमा करने का डिमांड नोट दिया गया। जिसका भुगतान आवेदक द्वारा दिनांक 09.08.2018 को कर दिया गया। जिस पर अनावेदक द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के परिसर का विद्युत मीटर दिनांक 25.08.2018 को बदल दिया गया। नया मीटर में प्रारंभिक रीडिंग 0005 थी। अनावेदक द्वारा नये विद्युत मीटर की रीडिंग 25.12.2018 के लेकर आवेदक को रूपये 17899/– का विद्युत देयक दिनांक 11 जनवरी 2019 को दिया गया। जिसमें वर्तमान देयक राशि रूपये 488/– एवं पिछला बकाया राशि रू. 9627/– तथा सरचार्ज (अधिभार) राशि रूपये 7784/– का दिया गया। जबकि आवेदक द्वारा माह जुलाई 2018 तक के विद्युत देयकों का भुगतान कर दिया गया था। आवेदक ने निवेदन किया कि आवेदक के परिसर का विद्युत मीटर जुलाई बिल्ड़ अगस्त 2018 एवं अगस्त बिल्ड़ सितम्बर 2018 का विद्युत देयक नियमानुसार संशोधित किया जावे तथा 25. 08.2018 को नया मीटर परिसर में स्थापित किया जा चुका था अतः शेष माह के विद्युत देयक माह सितम्बर 2018 से दिसम्बर

2018 तक के विद्युत देयक नये मीटर में दर्ज खपत लेकर जारी किये जावे। ताकि कि वह उनका भुगतान कर सके।

अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर में स्थापित पुराना विद्युत मीटर को निम्नदाब विद्युत परिक्षण शाला ग्वालियर में परिक्षण कराया गया। परिक्षण करने पर विद्युत मीटर खराब पाया गया। आवेदक का विद्युत मीटर दिनांक 22 जून 2018 तक मीटर में दर्ज रीडिंग 54359 के बाद खराब हो गया था। अतः आवेदक को 22 जून से 25.08.2018 तक की अवधि के विद्युत देयक (नया मीटर स्थापित होने तक) विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अनुसार यदि विद्युत मीटर खराब होने पर आवेदक को विद्युत मीटर खराब रहने की अवधि के विद्युत देयक मीटर खराब होने के पूर्व तीन माह की विद्युत खपत का औसत प्रतिमाह विद्युत औसत खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित किये जाने चाहिये।

अतः अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत मीटर खराब होने के पूर्व तीन माह अप्रैल बिल्ड़ मई 2018 से जून बिल्ड़ जुलाई 2018 तक तीन माह कि विद्युत खपत 560 + 653 + 383 = 1596/3 = 532 यूनिट प्रतिमाह औसत खपत लेकर माह जुलाई बिल्ड़ अगस्त 2018 एवं अगस्त बिल्ड़ सितम्बर 2018 का विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत रूपये 136537/– एवं सरचार्ज अधिभार राशि रूपये 7259/– कुल राशि रूपये 143796/– की क्रेडिट आवेदक को देते हुये माह फरवरी 2019 का विद्युत देयक 11404/– रूपये का आवेदक को जारी किया गया। जो कि विधि एवं न्याय संगत पाया गया। जिस पर आवेदक ने भी फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के निराकरण पर सहमति एवं संतुष्टि प्रकट की है।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता है।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 28.02.2019
स्थान : भोपाल।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस.मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

सदस्य (राजस्व एवं लेखा) सदस्य (अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 45/2018

16.07.2018

श्री रमेश चन्द्र बॉथम पुत्र श्री सी.एल. बाथम
ओम सनग्रेस विला, खिड़की मोहल्ला, फोर्ट रोड
सूरज नमकीन के पास, (आवेदक)
ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, उत्तर), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर(म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक12/02/2019 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./45दिनॉक 16.07.18 को पंजीकृत कर दिनांक 10.08.18, 06.09.18, 12.10.18, 15.11.18, 14.12.18, 10.01. 19एवं 07.02.2019 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :-** आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता रमेशचन्द्र निवासी रमटापुरा नं. -2, सरकारी नल के पास सर्विस क्रमांक 3311442 को प्रार्थना पत्र एवं एफिडेविट देकर स्थायी रूप से दिनांक 08.07.2011 को कटवा दिया गया था एवं अंतिम बिल भी चुकता था। इसके पश्चात भी विद्युत बिल लगातार जारी किये जा रहे हैं। इस संबंध में आवेदक द्वारा श्रीमान सहायक यंत्री, फूलबाग जोन ग्वालियर को दिनांक 27.01.2016 को शिकायत क्रमांक 14/27.01.2016 श्री मिश्राजी शिकायत लिपिक को आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर सहायक यंत्री फूलबाग जोन द्वारा निरीक्षण कराया गया जिसकी फोटोप्रति संलग्न हैं, परन्तु बिल निकलना फिर भी जारी रहा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण में उचित कार्यवाही की जाकर उपभोक्ता को नो ड्यूज प्रदान किया जावें एवं बिल निकलना बंद करने का आदेश दिया जावें।

5. **अनावेदक का कथन :-**अनावेदक द्वारा दिनांक 15.11.18 को प्रकरण में कथन किया कि प्रकरण में प्रबंधक, फूलबाग जोन, ग्वालियर द्वारा जॉच कर अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर का दिनांक 13.09.2018 को भौतिक परीक्षण कराया गया, जिसमें

उपभोक्ता के परिसर में मीटर नहीं मिला तथा लाईट का उपयोग नहीं पाया गया। प्रकरण के निराकरण की दृष्टि से चैक रिपोर्ट तथा समस्त बिलिंग डिटेल के आधार पर माह 10/2015 में दर्ज अंतिम रीडिंग 5579 को एफ.आर. मानकर तथा 3 माह का टी.एम.एम. लेकर व मीटर निकालने की कार्यवाही न होने पर मीटर मूल्य लेते हुए 08/2018 के देयक 77,506/– में से रूपये 59,826/– की राशि क्रेडिट करना प्रस्तावित हैं। अतः माह 08/2018 के देयक में रूपये 77,506 में रूपये 59,826/– की राशि क्रेडिट होने के पश्चात शेष राशि 17,680/– + 200/– आर.सी./डी.सी. चार्ज लेते हुए कुल का भुगतान करने के पश्चात पी.डी.सी. करने की कार्यवाही की जायेगी। जिस पर आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन उपरांत अगली सुनवाई में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक 14.12.2018 को आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि हमें बिजलीघर द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में दो प्रतियों में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें 2011–12 तक की मीटर रीडर द्वारा रीडिंग ली गई हैं। मीटर रीडिंग का विवरण अंकित हैं, जिसमें दिनांक 17.03.2012 को पी.डी.सी. अंकित किया हुआ हैं एवं निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.02.2016 संलग्न हैं।

प्रकरण में अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन उपरांत जवाब प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक 07.02.2019 को आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि हमारे द्वारा माह जुलाई 2011 में दिनांक 04.07.2011 को आवेदन देकर हमार विद्युत कनेक्शन का उपयोग न होने पर पी.डी.सी. किये जाने हेतु कार्यालय में निवेदन किया गया था। हमारे आवेदन पर उस समय पदस्थ कनिष्ठ यंत्री के हस्ताक्षर भी हैं। आवेदन देने के बाद दिनांक 08.07.2011 को हमारा मीटर मटेरियल निकाल लिया गया था एवं उस समय पदस्थ कनिष्ठ यंत्री द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये थें। मीटर निकालने के बाद भी हमें बिल दिये जाते रहें हैं। जिसके निराकरण के लिये ही हमारे द्वारा माननीय फोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया हैं। हमारा निवेदन हैं कि हमारे मीटर में माह जुलाई/अगस्त 2011 में दर्ज अंतिम रीडिंग 5387 के आधार पर फाईनल बिल दिया जाकर हमारे प्रकरण का निराकरण करने हेतु निवेदन हैं। हमारा कनेक्शन माह जुलाई/अगस्त 2011 से पी.डी.सी. मानते हुए उसके बाद जारी बिलों की राशि को हटाकर जो भी फाईनल बिल दिया जायेगा, उसका मैं भुगतान कर दूंगा।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री रमेश चन्द्र बाथम पिता स्व. श्री छोटेलाल बाथम के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–15–19–1950203000 रमटापुरा, ग्वालियर में फूलबाग जोन के अन्तर्गत हैं। जिसका माह जून बिल्ड जुलाई 2011 का अंतिम विद्युत

देयक रूपये 959/– का भुगतान दिनांक 02 जुलाई 2011 को किया गया है। उसके पश्चात आवेदक ने अनावेदक विद्युत कंपनी के जोन कार्यालय में एक आवेदन देकर विद्युत संयोजन क्रमांक (पुराना) 3311442 एवं नया सर्विस क्रमांक 2424206–15–19–1950203000 को स्थाई रूप से विच्छेदित करने का निवेदन मय शपथपत्र के दिनांक 04.07.2011 को दिया गया था। अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने की कार्यवाही के तहत विद्युत मीटर एवं सर्विस लाईन निकाल कर जमा करा दिया गया था। इसके पश्चात भी विद्युत देयक लगातार दिये जा रहें हैं, जबकि विद्युत का कोई उपयोग नहीं हैं। दिनांक 27.01.2016 को इसकी शिकायत फूलबाग जोन में की गई, जिस पर सहायक यंत्री द्वारा परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें परिसर में मीटर एवं सर्विस लाईन नहीं पाई गई तथा परिसर काफी समय से बंद एवं कोई भी निवास नहीं करता पाया गया तथा विद्युत का उपयोग नहीं पाया गया।

इसलिये आवेदक ने निवेदन किया कि उन्हें, उनके विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से आवेदन दिनांक 04.07.2011 के पश्चात स्थाई रूप से विच्छेदित कर जारी आंकलित खपत के विद्युत देयकों को निरस्त कर किये जावें।

अनावेदक द्वारा प्रकरण के निराकरण में प्रबंधक फूलबाग जोन द्वारा उपभोक्ता के परिसर का दिनांक 10.09.2018 को भौतिक सत्यापन कराया गया जिसमें उपभोक्ता के परिसर में विद्युत मीटर लगा नहीं मिला एवं न ही परिसर में विद्युत का उपयोग होते पाया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर की चैक रिपोर्ट तथा समस्त बिलिंग विवरण के आधार पर दर्ज अंतिम रीडिंग माह अक्टूबर 2015 में 5579 को अंतिम रीडिंग मानकार तथा तीन माह का तत्समय प्रचलित टैरिफ न्यूनतम लेकर व विद्युत मीटर निकालने की कार्यवाही न होने पर मीटर मूल्य(कीमत) लेते हुए अगस्त 2018 के देयक 77506/– रूपये में से 59,826/– की राशि का क्रेडिट दिया जाना स्वीकार किया गया तथा आवेदक को शेष राशि रूपये 17680/– तथा विद्युत संयोजन/विच्छेदन चार्ज राशि रूपये 200/– के भुगतान उपरांत विद्युत संयोजन का स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा। अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष यह स्वीकार किया।

फोरम द्वारा विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक को अपने विद्युत संयोजन के विद्युत देयक जून बिल्ड जुलाई 2011 का भुगतान कर विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने हेतु मय शपथ पत्र के एक आवेदन सहायक यंत्री, विद्युत वितरण कंपनी के जोन कार्यालय में दिनांक 04.07.2011 को दिया गया था। इसके पश्चात आवेदक के अनुसार उसके परिसर से विद्युत मीटर एवं सर्विस लाईन आदि निकाल कर विद्युत कार्यालय में जमा कर दिया गया था। दिनांक 04.07.2011 के आवेदन में मीटर में अंतिम रीडिंग 05387 दर्ज हैं। आवेदक के आवेदन

पर अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं आवेदक को विद्युत संयोजन के विद्युत देयक दिये

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

जाना जारी रखा। इसके उपरांत आवेदक द्वारा शिकायत करने पर अनावेदक द्वारा

आवेदक के परिसर का दिनांक 02.02.2016 को भौतिक परीक्षण किया गया, जिसमें आवेदक के परिसर में विद्युत मीटर एवं सर्विस लाईन आदि नहीं पाई गई और न ही परिसर में विद्युत का उपयोग होना पाया गया। इसके उपरांत भी आवेदक के उक्त परिसर पर विद्युत को विच्छेदित न मानकर अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक विद्युत देयक जारी किये जाते रहें। अनावेदक का यह कृत्य उनकी सेवा में घोर कमी को दर्शाता हैं। उपभोक्ता पासबुक एवं मीटर रीडिंग डायरी से भी यह पुष्टि होती हैं कि आवेदक के परिसर में उसके विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करने के बाद से विद्युत की खपत दर्ज नहीं हो रही हें।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के परिशिष्ट 3 के निम्नदाब विद्युत प्रदाय का अनुबंध के प्रारूप के बिन्दु क्रमांक 9 के अनुसारः–

अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता में से किसी के द्वारा अनुबंध का समापनः–घरेलू एवं एकल फेज के गैर–घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ता अनुबंध को 15 दिवस की सूचना पश्चात समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात एक माह की सूचना देकर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी भी इसी प्रकार की सूचना देकर लिखित कारण दर्शाते हुए अनुबंध समाप्त कर सकता हैं, परन्तु प्रतिबंध यह हैं कि यदि बकाया राशि के भुगतान न होने के कारण या मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अधीन जारी निर्देशों के गैर अनुपालन के कारण, 60 दिवस की अवधि के लिये विच्छेदित रहती हैं तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई कारण बताओ सूचना के बाद भी उपभोक्ता द्वारा विच्छेदन के निमित्तों को दूर करने हेतु और सूचना की विनिर्दिष्ट अवधि में विद्युत प्रदाय बहाल करने हेतु उपभोक्ता द्वारा कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता हैं तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से किया गया अनुबंध सूचना में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के समापन उपरांत, स्वमेव समाप्त हो गया, समझा जाएगा। ''कारण बताओ सूचना'' की अवधि सात दिवस होगी।

तथापि घरेलू तथा एकल फेज गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के अनुबंध की प्रारंभिक अवधि से पूर्व अनुबंध को समाप्त किया जाना हो, तो उपभोक्ता अनुबंध की शेष अवधि हेतु टैरिफ अनुबंध प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा।

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अंतिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि पर विशेष मीटर रीडिंग लेने का प्रबंध करेगा।

अनुबंध (बिलिंग) माह के अंतिम दिन समाप्त होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदानुसार अंतिम बिल बनायेगा।

उपरोक्त कण्डिका के अनुसार आवेदक के विद्युत संयोजन क्रमांक 2424206–15–19–1950203000 को अगस्त 2011 की स्थिति में आवेदक के कथन अनुसार उनके विद्युत मीटर में तत्समय दर्ज रीडिंग 5379 तक के विद्युत देयक दिये जायें एवं विद्युत संयोजन को 31 अगस्त 2011 से स्थाई रूप से विच्छेदित किया जाना चाहियें, परन्तु प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनांक 04/07/2011 को स्वतः ली गई रीडिंग

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

5387 एवं उससे प्राप्त आवेदन दिनांक 08/07/2011 को आधार बनाया गया हैं। ठीक हैं, परन्तु उपभोक्ता पासबुक के अनुसार अंतिम वाचन 5599 हैं, जो कि माह अक्टूबर 15 में हैं। परन्तु साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत मीटर रीडिंग डायरी की छायाप्रति में 23/03/2011 से लगातार PFL बताया जा रहा हैं, लेकिन रीडिंग दर्ज नहीं की गई हैं। लेकिन 23/03/2011 को रीडिंग लेने के पूर्व, पूर्ववाचन के रूप में रीडिंग 5239 दर्ज हैं। रीडिंग डायरी में आवेदन दिनांक 04/07/2011 के पश्चात रीडिंग दिनांक 19/08/2011 को मीटर रीडर द्वारा ''उपयोग हैं'' टीप दर्ज हैं।

स्पष्ट हैं कि आवेदक द्वारा दिनांक 04/07/2011 को स्वतः ली गई रीडिंग 5387 से आगे भी मीटर चला होगा। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार अगस्त 2015 में मीटर रीडिंग 5470, सितम्बर 2015 में 5539 एवं अक्टूबर 2015 में 5599 रीडिंग दर्ज होना बताई गई। आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार आवेदक के परिसर में वर्ष 2011 के पश्चात से विद्युत का उपयोग होना प्रमाणित नहीं होता हैं। अनावेदक द्वारा उपभोक्ताा के मीटर में पाई गई अंतिम रीडिंग एवं खपत का सुविधानुसार बिलिंग प्रणाली में दर्ज किया गया हैं।

अतः फोरम के मतानुसार आवेदक के पी.डी.सी. हेतु दिये गये आवेदन दिनांक 04/07/2011 के पश्चात मीटर का अंतिम वाचन 5599 तक की तत्समय प्रचलित टैरिफ अनुसार बिलिंग कर विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान अनुसार तीन माह की अवधि के पश्चात की तिथि यानि 31 अक्टूबर 2011 से कनेक्शन पी.डी.सी. किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णयः–अनावेदक को निर्देशित किया जाता हैं कि माह अक्टूबर 2011 के पश्चात आवेदक को जनवरी 2019 तक जारी समस्त विद्युत देयक निरस्त किये जाये तथा आवेदक को माह अक्टूबर 2011 की स्थिति में तत्समय प्रचलित टैरिफ के अनुसार मीटर में दर्ज अंतिम रीडिंग 5599 लेते हुए अंतिम विद्युत देयक जारी किया जावें तथा आवेदक के विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने की औपचारिकतायें पूर्ण कर 31 अक्टूबर 2011 से स्थाई रूप से विच्छेदित माना जाएं।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 12/02/2019
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री रमेश चन्द्र बॉथम पुत्र श्री सी.एल. बाथम
ओम सनग्रेस विला, खिड़की मोहल्ला, फोर्ट रोड
सूरज नमकीन के पास,
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 02 / 2019के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–45 / 2018) दिनांक16.07.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 12 / 02 / 2019 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहरसंभाग, उत्तर), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–45 / 2018 दिनांक 16.07.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 02 / 2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 50/2018

13.08.2018

श्री अनूप जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन
म.नं. 2, महावीर चौक, **(आवेदक)**
भिण्ड (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(संचा./संधा. संभाग), **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,भिण्ड (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक 13.02.19 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने अपने, विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./50 दिनॉक 13.08.18 को पंजीकृत कर दिनांक06.09.18, 12.10.18, 15.11.18, 14.12.18, 10.01.19 एवं 07. 02.19 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि मुझे पिछले कई महीनों से 110 यूनिट का एवरेज बिल दिया जा रहा हैं। आपके विभाग में इसकी शिकायत पहले भी दो बार कर चुका हूॅ। मीटर रीडिंग लेने वाले से भी कई बार कह चुका हूॅ, लेकिन मेरा बिल अब तक सुधार नहीं किया गया हैं। मैं तीसरी बार शिकायत दर्ज कर रहा हूॅ। कृपया मेरा बिल सुधारने की कृपा करें ताकि बिल समय पर भुगतान किया जा सकें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 14.12.18 को प्रकरण में कथन किया कि आवेदक को माह दिसम्बर 2017 से नवम्बर 2018 तक आंकलित खपत + रीडिंग खपत के बिल जारी हुए हैं। दिनांक 07.12.2018 को श्री पवन अहाके, उप प्रबंधक द्वारा परिसर की जॉच की गई। उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग 1331 पाई गई, लोड 89 वॉट पाया गया हैं। दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2018 तक 820 आंकलित खपत, मई 18 में मीटर खपत 70 एवं जून 18 से सितम्बर 18 तक 440 आंकलित खपत, अक्टूबर 2018 में रीडिंग खपत 97 यूनिट, नवम्बर 2018 में रीडिंग 07 यूनिट के देयक जारी किये गये हैं।

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

नवम्बर 2018 में बिल की रीडिंग 1306 है। अतः माह दिसम्बर 2017 से अप्रैल 2018
तक टी.एम.एम. एवं मई 2018 से जून 2018 तक टी.एम.एम. बिलिंग एवं अक्टूबर 2018 में रीडिंग खपत 97 नवम्बर 2018 में 07 के बिल जारी किये गये हैं। अतः नवम्बर 2018 तक देयक राशि रूपये 14881/– में से रूपये 7223/– घटाकर भरने योग्य राशि रूपये 7567/– हैं। कुल रूपये 7223/– राशि का समायोजन किया गया हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

दिनांक 14.12.2018 को आवेदक द्वारा प्रकरण में पुनः कथन किया गया कि आवेदक द्वारा मेरी शिकायत का जो निराकरण किया गया हैं, उसमें आवेदक द्वारा माह सितम्बर 2013 से माह फरवरी 2016 तक लगाई गई आंकलित खपत लगभग 50 यूनिट, 60 यूनिट एवं 70 यूनिट, जो कि गलत हैं। अतः माननीय फोरम से निवेदन हैं कि माह सितम्बर 2013 से माह फरवरी 2016 तक लगाई गई आंकलित खपत हटाते हुए मेरे भार के अनुसार आई खपत/मिनिमम के अनुसार बिल दिये जायें। यही मेरा निवेदन हैं।

दिनांक 07.02.2019 को आवेदक द्वारा कथन किया गया कि अनावेदक द्वारा मेरे विद्युत संयोजन के विद्युत देयक माह दिसम्बर 2017 से नवम्बर 2018 तक की अवधि में बिलों में लगी आंकलित खपत को हटाकर मीटर में दर्ज खपत अनुसार एवं न्यूनतम टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक संशोधित कर रूपये 14697/– का भुगतान योग्य राशि रूपये 7835/– का दिया गया, जिसमें सरचार्ज भी सम्मिलित हैं। अतः सरचार्ज राशि को माफ किया जावें, यही मेरा निवेदन हैं।

अनावेदक द्वारा कथन किया गया कि आवेदक के प्रकरण का पूर्व में दिनांक 14.12.18 को जवाब दिया जा चुका हैं। अतः सरचार्ज की गणना कर माह दिसम्बर 17 से नवम्बर 18 तक की अवधि में लगा सरचार्ज हटा दिया जायेगा।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः**–आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री अनूप कुमार जैन पिता श्री ज्ञान चन्द्र जैन के नाम से एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424201–77–0–6358632000 महावीर चौक, हाऊसिंग कॉलोनी, भिण्ड में स्थित हैं, के विद्युत देयक अनावेदक द्वारा मीटर रीडिंग न लेकर आंकलित खपत के माह अप्रैल 2017 से जून 2018 तक की अवधि में दिये गये, जबकि विद्युत मीटर सही कार्य कर रहा हैं। अतः मीटर में दर्ज खपत अनुसार अप्रैल 2017 से जून 2018 तक की अवधि के विद्युत देयक संशोधित किये जाने तथा उक्त अवधि में विद्युत देयकों को संशोधित किये जाने तथा उक्त अवधि में विद्युत देयकों का भुगतान न करने के कारण लगे सरचार्ज को हटाकर भुगतान योग्य राशि का संशोधन उपरांत विद्युत बिल दिये जाने का निवेदन किया गया हैं ताकि वह उनका भुगतान कर सकें तथा आगे भी उसे मीटर में दर्ज खपत अनुसार ही विद्युत देयक दिये जाने का निवेदन किया गया हैं।

अनावेदक द्वारा उपभोक्ता पासबुक तथा परिसर का निरीक्षण कर एवं उपभोक्ता के विद्युत संयोजन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की जॉच उपरांत माह दिसम्बर 2017 से नवम्बर 2018 की अवधि में आवेदक के विद्युत देयकों में लगाई गई आंकलित खपत हटाकर टॅरिफ न्यूनतम एवं मीटर में दर्ज खपत लेकर विद्युत देयक संशोधित करने के उपरांत भुगतान योग्य राशि रूपये 7567/– का विद्युत देयक जारी किया गया हैं। आवेदक की शेष मांग कि उसे आंकलित खपत के विद्युत देयकों के भुगतान न करने पर लगा सरचार्ज भी हटाया जायें, के संबंध में फोरम इस नतीजे पर पहुॅचा हैं कि आवेदक को माह दिसम्बर 2017 से नवम्बर 2018 की अवधि में प्रति माह विद्युत देयकों में लगी आंकलित खपत हटाकर संशोधन उपरांत भुगतान योग्य राशि पर ही सरचार्ज लिया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णयः–अनावेदक द्वारा आवेदक को दिसम्बर 2017 से नवम्बर 2018 की अवधि में जिन माहों में आंकलित खपत लगाकर देयक दिये गये थें, को हटाकर टैरिफ न्यूनतम एवं मीटर में दर्ज खपत अनुसार विद्युत देयक संशोधन उपरांत रूपये 7223/– की क्रेडिट/समायोजन उपरांत रूपये 7567/– का विद्युत देयक दिया जाना स्वीकार किया गया हैं, जो कि विधि एवं न्याय संगत पाया गया। उक्त अवधि में आवेदक को प्रति माह विद्युत देयकों के भुगतान न करने के कारण लगा सरचार्ज विद्युत देयक संशोधन उपरांत प्रति माह भुगतान योग्य राशि पर ही नियमानुसार गणना कर लिया जावें।

आवेदक की शिकायत निराकृत प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए एक प्रति फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 13/02/2019
स्थान : भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री अनूप जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द्र जैन
म.नं. 2, महावीर चौक
भिण्ड (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 13 / 02 / 2019के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–50 / 2018) दिनांक13.08.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 13 / 02 / 2019 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम,चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(संचा. / संधा.संभाग), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., भिण्ड(म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–50 / 2018 दिनांक 13.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 13 / 02 / 2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम,चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 51/2018

13.08.2018

श्रीभूपसिंह पुत्र श्री फेरन सिंह
ग्राम अकबरपुर पोस्ट जमाहर खालसा, **(आवेदक)**
आर.ई.एस.–2, ग्वालियर (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(संचा./संधा.संभाग, आर.ई.एस.–2) **(अनावेदक)**
मुरार, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,ग्वालियर (म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक14.02.19 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./51दिनॉक 13.08.18 को पंजीकृत कर दिनांक06.09.18, 12.10.18, 15.11.18, 14.12.18 एवं 07.01.19को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया किः–

1. यह कि प्राथी ग्राम अकबरपुर पुलिस थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर में निवास करता हैं। प्रार्थी के ग्राम अकबरपुर में स्थित खेत पर सर्विस क्रमांक 220399–01–001253–2 के तहत 5 हार्स पावर का कनेक्शन विद्युत पंप हेतु लिया हैं, जिससे पंप चलाने हेतु विद्युत मण्डल द्वारा 63 के.व्ही. का ट्रांसफार्मर लगाया गया था।
2. यह कि उक्त 63 के.व्ही. ट्रांसफार्मर दिनांक 13–14.06.2001 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया, जिसकी चोरी की रिपोर्ट विद्युत मण्डल ने दिनांक 16.01.2001 को पुलिस थाना, पुरानी छावनी के अपराध क्रमांक 71/01 अन्तर्गत धारा 427, 379 भा.द.वि. के तहत की गई। उक्त ट्रांसफार्मर के चोरी चले जाने के कारण प्रार्थी का पंप बंद हो गया तथा आज दिनांक तक दूसरा ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा नहीं दिया गया हैं इस कारण प्रार्थी का पंप बंद हैं
3. यह कि ट्रांसफार्मर के चोरी जाने के दिनांक तक विद्युत मण्डल की कोई बिल राशि प्रार्थी पर शेष नहीं थीं तथा ट्रांसफार्मर चोरी चले जाने के बाद प्रार्थी का पंप बंद होने

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

के बावजूद विद्युत मण्डल द्वारा प्रार्थी को बिल भेजा जा रहा हैं, जो वर्तमान में 1,05,665/– रूपये हो गया हैं, जबकि प्रार्थी ने विद्युत का कोई उपयोग नहीं किया हैं।

4. यह कि प्रार्थी के ऊपर उक्त बिल की राशि माफ कराया जावें एवं नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल हैं।

5. यह कि प्रार्थी का ट्रांसफार्मर जब से चोरी गया हैं, उस समय से प्रार्थी द्वारा कहीं ओर से विजली लेकर मोटर को नहीं चलाया गया हैं।

अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा बिना विद्युत का उपयोग किये विद्युत मण्डल द्वारा भेजी गई बिल राशि रूपये 1,05,665/– माफ किये जाने एवं नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 15.11.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि शिकायतकर्ता श्री भूप सिंह/फेरन सिंह ग्राम अकबरपुर का ट्रांसफार्मर वर्ष 2001 से चोरी हो जाने के कारण एवं उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किये जाने के कारण जारी किये गये विद्युत देयक वर्ष जुलाई 2001 से माह अक्टूबर 2018 तक की बकाया राशि रूपये 1,25,038/– को समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। उपभोक्ता के सर्विस क्रमांक 99–01–9105633 को स्थायी रूप से विच्छेदित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने कीकृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक श्री भूपसिंह/ श्री फेरन सिंह के नाम से एक 3 फेज कृषि कार्य हेतु कृषि पंप विद्युत संयोजन क्रमांक 99–01–9105633 संयोजित विद्युत भार 5 अश्व शक्ति ग्राम अकबरपुर आर.ई.एम.एस. –2, मुरार ग्वालियर में स्थित हैं, को विद्युत प्रदाय करने वाला ट्रांसफार्मर जून 2001 में चोरी हो गया था। इसकी शिकायत विद्युत विभाग में की गई तो विद्युत विभाग के अधिकारी ने बोला कि विद्युत बिल की बकाया राशि जमा कर दीजिये उसके बाद आपके ट्रांसफार्मर की चोरी की एफ.आई.आर. कटा दी जायेगी एवं दूसरा ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। मेरे द्वारा विद्युत बिल की बाकया राशि का भुगतान कर दिया गया था। दिनांक 16.06.2001 को पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई। इसके पश्चात आज दिनांक तक मेरे कृषि पंप को विद्युत प्रदाय करने वाला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया और मेरे द्वारा आज तक विद्युत का उपयोग नहीं किया गया। इसके पश्चात भी मुझे विद्युत देयक दिये जा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि जून 2001 से जब से ट्रांसफार्मर चोरी हुआ हैं, तब से विद्युत पंप सिंचाई हेतु नहीं चलाया गया हैं। अतः इस अवधि में मुझे जारी विद्युत देयकों को समाप्त किया जावें एवं मेरा विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जावें ताकि मैं अपना विद्युत पंप चला सकूँ।

दिनांक 12.10.2018 को अनावेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि आवेदक के यहॉ निरीक्षण के दौरान श्री भूपसिंह/श्री फेरन सिंह ग्राम अकबरपुर के खेत से लगी डी.पी. पर 2 पोल लगे है, परन्तु ट्रांसफार्मर नहीं लगा हैं एवं कृषि पंप विद्युत संयोजन

हेतु वर्तमान में विद्युत का उपयोग होना नहीं पाया गया हैं। आवेदक के कृषि पंप पर विद्युत प्रदाय करने वाला ट्रांसफार्मर वर्ष 2001 से चोरी होने के कारण एवं उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उपभोक्ता को जारी किये गये विद्युत देयक माह जुलाई 2001 से माह अक्टूबर 2018 तक की बकाया राशि रूपये 1,25,038/– को समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं तथा उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन क्रमांक 99–01–9105633 को स्थाई रूप से विच्छेदित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

दिनांक 14.12.2018 को आवेदक ने फोरम के समक्ष कथन किया कि यदि विद्युत कंपनी द्वारा जुलाई 2001 से अक्टूबर 2018 तक की बकाया राशि रूपये 1,25,038/– को समाप्त की जाती हैं तो कृषि विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायें, इससे मैं सहमत हूँ।

अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को कृषि पंप विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने का आवेदन विद्युत कंपनी कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त विद्युत संयोजन को तत्काल स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा एवं विवादित राशि को निरस्त कर दिया जायेगा।

दिनांक 10.01.2019 को अनावेदक ने प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक द्वारा उसके कृषि पंप विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित करने हेतु आवेदन दिनांक 07.01.2019 को प्रस्तुत किया गया हैं, जिस पर उक्त कृषि पंप विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने की कार्यवाही करते हुए आगामी दिनांक को जवाब प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक 10.01.2019 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में आवेदक श्री भूपसिंह/श्री फेरनसिंह ग्राम अकबरपुर के उपभोक्ता का ट्रांसफार्मर वर्ष 2001 से चोरी हो जाने के कारण एवं उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किये जाने के कारण जारी किये गये विद्युत देयक माह जुलाई 2001 से माह अक्टूबर 2018 तक की बकाया राशि रूपये 1,25,038/– को समायोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं तथा कृषि विद्युत संयोजन क्रमांक 99–01–9105633 को स्थाई रूप से विच्छेदित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष किये गये कथनों की विवेचना उपरांत यह पाया गया कि आवेदक श्री भूपसिंह/श्री फेरनसिंह के नाम से एक 3 फेज कृषि कार्य हेतु कृषि पंप विद्युत संयोजन क्रमांक 99–01–9105633 संयोजित विद्युत भार 5 अश्व शक्ति ग्राम अकबरपुर आर.ई.एम.एस. –2, मुरार, ग्वालियर में स्थित हैं। जिस ट्रांसफार्मर से आवेदक के कृषि पंप विद्युत संयोजन को विद्युत प्रदाय किया जाता था, वह जून 2001 में चोरी हो गया था। जिसकी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 16.06.2001 में पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। इसके

बाद अनावेदक विद्युत कंपनी, मुरार ग्वालियर के अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया कि विद्युत बिल की बकाया राशि का भुगतान कर दीजिये। आपका ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। विद्युत बिल की बाकया राशि का भुगतान करने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया और विद्युत का उपयोग भी नहीं हुआ, उसके उपरांत भी विद्युत बिल दिये जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर लगाने के लिये दिनांक 21.10.2002,31.03. 2003, 17.04.2013, 11.11.2014 एवं 09.02.2015 को आवेदन देकर बिल निरस्त करने तथा ट्रांसफार्मर लगाने का निवेदन किया गया, लेकिन अनावेदक द्वारा न तो आवेदक के कृषि पंप को विद्युत प्रदाय करने वाला ट्रांसफार्मर आज तक स्थापित किया गया और न हीं विद्युत बिल निरस्त किये गयें हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि दिनांक 16.06.2001 के बाद जुलाई 2001 से अक्टूबर 2018 तक जारी विद्युत बिल बिना विद्युत उपयोग के बिल राशि रूपये 1,25,038/– को समाप्त किया जावें एवं विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जावें यहीं निवेदन हैं।

श्री भूपसिंह/श्री फेरन सिंह के नाम से एक 3 फेज कृषि कार्य हेतु कृषि पंप विद्युत संयोजन क्रमांक 99–01–9105633 संयोजित विद्युत भार 5 अश्व शक्ति ग्राम अकबरपुर आर.ई.एम.एस. –2, मुरार ग्वालियर में स्थित ट्रांसफार्मर जून 2001 में चोरी हो जाने के कारण तथा अनावेदक द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाने के कारण आवेदक द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किये जाने के कारण जारी किये गये विद्युत देयक जुलाई 2001 से अक्टूबर 2018 तक की बकाया राशि रूपये 1,25,038/– को समायोजित एवं विद्युत संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित किये जाने की कार्यवाही किया जाना फोरम के समक्ष लिखित रूप से स्वीकार किया गया हैं, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत उपभोक्ता की मुख्य जानकारी पत्रक से होती हैं, जिससे आवेदक सहमत हैं।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।
दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक एवं एक प्रति फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 14/02/2019
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री भूपसिंह पुत्र श्री फेरन सिंह
ग्राम अकबरपुर पोस्ट जमाहर खालसा,
आर.ई.एस.–2, ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 12 / 02 / 2019के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–51 / 2018) दिनांक13.08.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 14 / 02 / 2019 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(संचा / संधा. संभाग–आर.ई.एस.–2), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–51 / 2018 दिनांक 13.08.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 14 / 02 / 2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755-2747352 ई-मेल -ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 68/2018

10.09.2018

श्री अजय कुलश्रेष्ठ
डी.एम. 235, डी.डी. नगर,
ग्वालियर (म.प्र)

(आवेदक)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(शहर संभाग, पूर्व),
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर(म.प्र.)

(अनावेदक)

आदेश

आज दिनांक 15.02.19 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./68 दिनॉक 10.09.18 को पंजीकृत कर दिनांक 12.10.18, 15.11.18, 14.12.18, 10.01.19 एवं 07.02.19को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–** आवेदक द्वारा प्रकरण में लिखित कथन किया गया कि प्रार्थी एक ईमानदार उपभोक्ता के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं तथा प्रार्थी के द्वारा 07 रिमाइण्डर देने के बाद भी आज दिनांक 06.09.2016 तक मेरी समस्या का समाधान नहीं किया गया हैं।

1. प्रार्थी के घर 2013 में फास्ट मीटर लगाया गया था, जो मुश्किल से बदला गया, किन्तु साथ ही एम.पी.ई.बी. द्वारा किसी का चला हुआ मीटर मेरे घर पर दिनांक 12.04.2014 को हमारी अनुपस्थिति में चुपचाप लगा दिया(बिना किसी सूचना के) मैंने 7 रिमाईण्डर अपने मीटर परिवर्तन फार्म को लेने के लिये दिये किन्तु जब दिनांक 30.07.2016 को मुझे मीटर परिवर्तन फार्म देखने को मिला तो एम.पी.ई.बी. वालो के षड़यंत्र का पता चल गया हैं। इसमें मेरे या मेर परिवार के हस्ताक्षर नहीं हैं। अर्थात् चले हुए मीटर की गलती को दबाने के लिये गलत एवं फर्जी मीटर परिवर्तन फार्म दे दिया गया हैं।
2. श्रीमान जी प्रार्थी की समस्या एम.पी.ई.बी. द्वारा 2013 में लगाये गये फास्ट मीटर एवं 2014 मं मेरे पीछे किसी का चला हुआ अत्यधिक रीडिंग का मीटर लगाने एवं 200 यूनिट आंकलित खपत लगाने के कारण हुई हैं एवं इन्हीं कारणों से प्रार्थी ने अपने बिल समस्या

का समाधान हो जाये, इस कारण समय पर नहीं भरे हैं। अतः प्रार्थी का मई 2013 से अबतक का सरचार्ज पूर्णतः माफ करने की कृपा करें।

आशा ही नहीं, आपसे पूर्ण विश्वास हैं कि आप प्रार्थी की समस्या का तुरन्त समाधान कराके संशोधित बिल प्रदाय करने के लिये एम.पी.ई.बी. को आदेश प्रदान करेंगे, जिसे मैं भर सकूँ। साथ में निवेदन हैं कि प्रार्थी Defaulter न होकर एक ईमानदार एवं इज्जदार रेल्वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अतः प्रार्थी की लाईट एम.पी.ई. बी. वालों द्वारा न काटी जायें।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 12.10.18 को कथन किया गया कि पूरे प्रकरण में आवेदक का कनेक्शन नंबर अंकित नहीं हैं, जिससे उपभोक्ता के प्रकरण का निराकरण किया जा सकें। दिनांक 11.10.18 को मोबाईल नंबर 9752447963 पर श्री अजय कुलश्रेष्ठ से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 2–3 दिन बाद कार्यालय में सम्पर्क करेगा। इस बाबत् दिनांक 09.10.2018 को परिसर का निरीक्षण करने पर चैक रीडिंग 8578, मीटर बाहर लगा एवं परिसर में ताला लगा पाया गया। उक्त कनेक्शन श्री मिलन सरकार के नाम पर पाया गया हैं। यदि कनेक्शन नंबर सहीं हैं तो उपभोक्ता के आने पर कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 10.01.2019 को अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि उपभोक्ता के प्रकरण का जवाब प्रथम पेशी दिनांक 12.10.2018 को फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें लेख किया गया था कि आवेदक से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया था कि वह 2–3 दिन बाद सम्पर्क करेगा, किन्तु उपभोक्ता द्वारा सम्पर्क नहीं किया गया। श्रीमान जी द्वारा प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित करने के पश्चात पुनः रि–ओपन करने पर परिसर का निरीक्षण दिनांक 08.01.2019 को किये जाने पर चैक रीडिंग 8578 बाडी सील टूटी हुई, मीटर का ढक्कन खुला हुआ पाया गया एवं एम.डी. 1.96 पाई गई। उपभोक्ता परिसर में किरायेदार रहते पाये गये, जिनका कथन यह हैं कि वह लगभग 1 माह पूर्व ही रहने आये हैं, जिसके कारण उपभोक्ता की मासिक खपत अलग–अलग आती हैं, क्योंकि मकान में बदल बदल कर किरायेदार रहते आये हैं। वर्तमान में भी 2 नंबर किरायेदार निवास कर रहे हैं। प्रकरण में उपभोक्ता मीटर फास्ट नहीं हैं एवं आंकलित खपत भी नहीं लगी हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किये गये कथनों की विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि आवेदक का एक घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक 2424902–50–13–897789200 संयोजित विद्युत भार 1485 वॉट डी.एम. 235 डी.डी. नगर, मुरार ग्वालियर श्री मिलन सरकार के नाम से हैं। वर्ष 2013 में विद्युत मीटर तेज चलने की शिकायत अनावेदक विद्युत कंपनी में की गई थीं, जिस पर अनावेदक द्वारा दिनांक 12.04.2014 को कहीं और

जगह से निकाला हुआ विद्युत मीटर मेरी जानकारी में लाये बगैर बिना किसी सूचना के मीटर परिवर्तन कर दिया गया। मीटर परिवर्तन रिपोर्ट मांगने के लिये कई बार विद्युत कंपनी के कार्यालय में आवेदन दिये गये, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं दी गई। कई बार प्रयत्न करने पर विद्युत कंपनी के द्वारा षड़यंत्रपूर्वक मुझे मीटर परिवर्तन रिपोर्ट देखने को मिला, जिसमें मेरे परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं अर्थात चले हुए मीटर की गलती को छिपाने के लिये गलत एवं फर्जी मीटर परिवर्तन रिपोर्ट दिखाई गई।

वर्ष 2014 में किसी ओर के यहॉ चला हुआ अत्यधित रीडिंग का मीटर लगाने एवं 200 यूनिट आंकलित खपत लगाने के कारण हुई समस्या का समाधान न होने से विद्युत बिलों का भुगतान न करने से लगा सरचार्ज माफ करने का कष्ट करें।

अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर का दिनांक 11.10.2018 एवं 08.01.2019 को निरीक्षण करने पर मीटर में दर्ज रीडिंग क्रमशः 8473 एवं 8578 एम.डी. 1.96, मीटर बाडी सील टूटी पाई गई एवं मीटर का ढक्कन खुला पाया गया तथा मकान में किरायेदार के 6 व्यक्ति रहते हुए पाये गये। उनके अनुसार एक माह पहले ही वह रहने आये है। चूॅकि आवेदक के परिसर में बदल बदल कर किरायेदार रहते आये हैं। इसलिये आवेदक के परिसर की खपत भी कम ज्यादा होती रहीं हैं। वर्तमान में 2 किरायेदार निवास कर रहें हैं। उपभोक्ता का मीटर फास्ट नहीं हैं एवं आंकलित खपत भी नहीं लगी हैं।

आवेदक एवं अनावेदक के कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आवेदक का यह कहना सही नहीं हैं कि वर्ष 2013 में मीटर तेज चल रहा हैं। अनावेदक द्वारा आवेदक का विद्युत मीटर क्रमसंक 812504, 01 अप्रैल 2014 तक सही कार्य कर रहा था तथा विद्युत खपत भी सही दर्ज हो रही थी, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक में दर्ज विद्युत खपत से भी होती हैं। आवेदक के निवेदन पर अनावेदक द्वारा आवेदक का विद्युत मीटर दिनांक 12.04.2014 को मीटर क्रमांक 103607 आरंभिक रीडिंग 0002 पर स्थापित किया गा था, जो वर्तमान में आज दिनांक तक सही कार्य कर रहा हैं। उपभोक्ता पासबुक के अनुसार आवेदक के परिसर में नया मीटर दिनांक 12.04.2014 को स्थापित करने के बाद माह मई 2014 में 200 यूनिट आंकलित खपत का देयक दिया गया एवं माह जून 2014 में एस.आर/एफ.आर. कर दो माह अप्रैल एवं मई 2014 की इकठ्ठी मीटर में दर्ज रीडिंग 580 के अनुसार विद्युत खपत 642 यूनिट का विद्युत देयक आवेदक को दिया गया जो कि नियमानुसार नहीं है। माह मई 2014 में नये मीटर में दर्ज रीडिंग अनुसार एस.आर/एफ.आर. कर विद्युत खपत का विद्युत देयक दिया जाना चाहिये था, जो कि अनावेदक की सेवा में कमी को प्रदर्शित करता है। आवेदक का यह कहना कि अनावेदक ने नया मीटर क्रमांक 103607 दिनांक 12.04.2014 को उसके परिसर में पुराना मीटर निकाल कर

स्थापित किया गया। यह किसी अन्य उपभोक्ता के यहॉ से निकालकर लगाया गया था, जिसमें पहले से रीडिंग दर्ज थीं, के संबंध में कोई साक्ष्य फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इसलिये आवेदक की यह शिकायत

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

मानने योग्य नहीं हैं कि उसके परिसर में स्थापित नया विद्युत मीटर तेज चल रहा हैं। आवेदक के परिसर की विद्युत खपत गर्मी के समय कूलर, पंखे एवं एअर कण्डीशनर आदि चलते हैं, जिससे माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई 2014 में विद्युत खपत अधिक दर्ज हुई हैं। इसके बाद सामान्य खपत दर्ज हुई हैं, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन करने से भी होती हैं तथा आवेदक के परिसर में किरायेदार भी बदलते रहते हैं, इसलिये विद्युत की खपत भी कम ज्यादा रहती हैं।

फोरम का निर्णयः–अनावेदक को निर्देशित किया जाता है। कि आवेदक को माह मई 2014 के विद्युत देयक में लगाई गई आंकलित खपत 200 यूनिट को हटाकर मीटर में दर्ज दो माह, अप्रैल एवं मई 2014 की रीडिंग अनुसार एस.आर/एफ.आर. कर इकठ्ठी विद्युत खपत 642 यूनिट को माह मई एवं जून 2014 में बराबर विभाजित कर प्रत्येक माह 321 यूनिट विद्युत खपत लेकर माह मई एवं जून 2014 के विद्युत देयक तत्समय प्रचलित टैरिफ अनुसार संशोधित कर भुगतान योग्य राशि का विद्युत देयक जारी किया जावें।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए। आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में पालन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक एवं एक प्रति फोरम को प्रेषित करें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 15/02/2019
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) सदस्य(अभियांत्रिकी) अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक / वि.उ.शि.नि.फोरम / भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्री अजय कुलश्रेष्ठ
डी.एम. 235, डी.डी. नगर
ग्वालियर (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 02 / 2019के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–68 / 2018) दिनांक10.09.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 15 / 02 / 2019 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक,(शहर संभाग, पूर्व), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., ग्वालियर(म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–68 / 2018 दिनांक 10.09.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 15 / 02 / 2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@gmail.com)

प्रकरण क्र. जी.टी. 83/2018

13.08.2018

श्रीमती राधारानी इन्फाकोन प्रा.लि.,
ए.बी. रोड, **(आवेदक)**
मुरैना (म.प्र)

विरुद्ध

उपमहाप्रबंधक,
(संचा./संधा.संभाग–1,) **(अनावेदक)**
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,मुरैना–1(म.प्र.)

आदेश

आज दिनांक16.02.19 को पारित किया गया।

1. आवेदक ने, अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में यह आवेदन, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(5) के तहत प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक के इस आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक जी.टी./83दिनॉक 17.11.18 को पंजीकृत कर दिनांक14.12.18, 10.01.19 एवं07.02.19 को सुना गया।

3. प्रकरण में उभयपक्षों ने फोरम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

4. **आवेदक का कथन :–**आवेदक कम्पनी की ओर से आवेदन निम्नांकित प्रस्तुत है :–

1. यह कि, आवेदक श्री राधारानी इन्फाकोन प्रा.लि. का प्रबंधक है। उक्त कम्पनी के द्वारा आगरा मुम्बई राजमार्ग पर आर्शीवाद रायल रेजीडेन्सी के नाम से एक बहुमंजिला भवन निर्मित किया है जिसमें सामूहिक उपयोग की जगह पर बिजली उपलब्ध रहें इस हेतु एक विद्युत कनेक्शन 22600 वाट का आपके गणेशपुरा वितरण केन्द्र से प्राप्त किया है। जिसके प्रत्येक माह के विद्युत बिलों का भुगतान कम्पनी द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है उक्त बिल से पूर्व कोई भी राशि विद्युत देयकों के रूप में बकाया नही है। इस कारण आवेदक व उसकी कम्पनी अनावेदक कम्पनी की उपभोक्ता है।

2. यह कि, अनावेदक कार्यालय से उक्त कनेक्शन से सबंधित जून 2018 का बिल 98209/– रूपये का प्राप्त हुआ उक्त बिल में 37807/– रूपये की राशि अतिरिक्त रूप से बिल की राशि के अलावा अंकित की गई थी। इस संबंध में जब गणेशपुरा वितरण केन्द्र से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह राशि उनके स्वयं के द्वारा बिलिंग न की जाकर अनावेदक कम्पनी के बी.आई.सेल के उपमहाप्रबंधक के निर्देशो के पालन में अंकित की गई है। अनावेदक कम्पनी द्वारा यह भी बताया

गया आवेदक के परिसर में लगे उपरोक्त कनेक्शन की जांच उनके द्वारा की गई जिसमें एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार मीटर कुछ कुछ समय तक एक फेंस पर बंद पाया गया इसके आधार पर यह बिलिंग की गई है। इस सबंध में निवेदन है कि ओवदक के परिसर में जो मीटर लगाया गया है वह अनावेदक कम्पनी की ओर से लगाया गया है मीटर में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड या टेम्परिंग की गई हो ऐसा होना नही पाया गया उक्त कनेक्शन के माध्यम से बहुमंजिला भवन के ऐसे खुलं क्षेत्र जो सामान्य रूप से उपयोग किये जाते है उनमें विद्युत सप्लाई की गई है। जिसमें पार्किग ऐरिया में बहुमंजिला भवन के चारों ओर के खुले ऐरिया में झीने में तथा प्रत्येक मंजिल के खुले क्षेत्र में प्रकाश हेतु जो लाईट लगाई गई है उसके लिये थी फेंस कनेक्शन की आवश्यकता नही है। जिस फेंस पर भी विद्युत उपलब्ध हो उससे ही खुल क्षेत्र में विद्युत संचालित हो जाती है और जो विद्युत ऊर्जा खुले क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है उसकी लिप्ट व एक पानी की मोटर भी लगी हुई है लेकिन यह तीनों चीजे थ्री फेस के माध्यम से उपयोग में लगाई जा सकती है। इन तीनो उपकरणों को जब तक तीनों फेसो से विद्युत सप्लाई प्राप्त नही होगी तब तक ना तो लिप्ट का संचालन होगा और न ही पानी की मोटर ही उपयोग में लाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि एक फेंस पर विद्युत सप्लाई कुछ समय के लिये अवरोधित था या उसकी खपत मीटर में नही आ रही थी तो निश्चित रूप से ही इन उपकरणों का उस समय उपयोग नही किया जा रहा होगा क्योकि लिप्ट व पानी की मोटर तीनों फेसो पर विद्युत सप्लाई होने पर ही चल पाते है। ऐसी स्थिति में यदि अनावेदक कम्पनी के मीटर में कुछ तकनीकी खराबी है भी और मीटर द्वारा कुछ समय तक के लिये एक फेंस पर सप्लाई बंद भी रखी है तब भी मात्र इस आधार पर मुझ आवेदक की कम्पनी से अनावेदक कम्पनी कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नही कर सकती क्योकिं सामान्य क्षेत्र में जितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है उसकी सम्पूर्ण खपत आपके मीटर द्वारा दर्ज की गई है।

3. यह कि आवेदक के परिसर में विद्युत मीटर अनावेदक कम्पनी द्वारा लगाया गया है एक तरफ की किसी खराबी के कारण अनावेदक कम्पनी 37807/– रूपये की राशि बिल में अतिरिक्त रूप से अधिरोपित करती है और राशि अधिरोपित करने का कारण आवेदक परिसर में अनावेदक कम्पनी द्वारा लगाये गये मीटर की तकनीकी खराबी होना बताती है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि अनावेदक कम्पनी जो अपने मीटर को स्वयं खराब होना बताते है लेकिन आज दिनांक तक भी उसी मीटर के माध्यम से विद्युत की सप्लाई अनावेदक कम्पनी द्वारा निरंतर रखी है मीटर को बदलने की कोई कार्यवाही आपके गणेशपुरा वितरण केन्द्र बी.आई.सेल द्वारा न तो प्रस्तावित की है और न ही मीटर बदला गया है। यहां यह भी निवेदनह है कि यदि मीटर में कोई

खराबी है भी तो ऐसी किसी खराबी के लिये, आवेदक कम्पनी को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता और न ही उससे किसी धनराशि की मांग की जा सकती है।

4. यह कि, उक्त कनेक्शन बहुमंजिला भवन के कॉमन ऐरिया की बिजली हेतु उपयोग में लाया जाता है उक्त कनेक्शन से सबंधित पिछले एक वर्षो के बिलो का श्रीमान यदि अवलोकन करे तो लगभग सभी बिल 20,000/– रूपये की राशि से कुछ कम या कुछ ज्यादा के है जून 2018 में भी जो बिल दिया गया है वह भी लगभग इतनी ही राशि का है। फिर यह कहते हुये कि अनावेदक कम्पनी के मीटर के एक फेंस पर कुछ समय तक विद्युत ऊर्जा का प्रभाव बंद रहा है, के आधार पर आवेदक कम्पनी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये 37,807/– रूपये की अतिरिक्त मांग करना न्यायोचित नही है। इससे कम्पनी के हितो के अलावा उक्त बहुमंजिला भवन के कॉमन ऐरिया में उपयोग होने वाली बिजली के प्राप्त होने वाले बिलों की राशि उक्त बहुमंजिलो भवन के रहवासी उपभोक्ता से ही प्राप्त की जाती है। ऐसे में उन उपभोक्ताओं से प्रथक से 37,807 रूपये की मांग करना अनावेदक कम्पनी द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित व्यापारिक प्रथा है। उक्त बिल अनुचित रूप से देने से पहले आवेदक कम्पनी को न तो कोई सूचना पत्र जारी किया गया है न ही कोई सुनवाई को मौका दिया गया और न ही मीटर की कोई जांच की गई है। ऐसे में बिना सुनवाई का मौका दिये एक तरफा निर्णय लेकर दण्डाज्ञा पारित करना विधि के सामान्य सिद्धातों के विपरीत है आवेदक कम्पनी अनावेदक कम्पनी की उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना अनावेदक कम्पनी का दायित्व है। ऐसी स्थिति में जून 2018 के बिल में मनमाने रूप से अधिरोपित की गई राशि 37,807/– रूपये को निरस्त कर संशोधित बिल बावत् एक आवेदन दिनांक 21.07.2018 को अनोवदक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और असत्य रूप से अधिरोपित की गई राशि को निरस्त कर संशोधित बिल दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. यह कि, अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन दिनांकित 21.07.2018 का न तो कोई उत्तर दिया और न ही उक्त प्रार्थना को स्वीकार किया जो अनावेदक की स्पष्ट रूप से सेवा में कमी है। मुझ आवेदक द्वारा कई बार अनावेदक से उक्त आवेदन का निराकरण करने हेतु निवेदन किया इस बात से नाराज होकर अनावेदक द्वारा यह चेतावनी दी कि यदि उक्त बिल को तत्काल जमा नही कराया गया तो वह पूरी बहुमंजिला भवन की बिजली काट देगे। इस बात से दुखित व व्यथित होकर आवेदक कम्पनी द्वारा दिनांक 23/08/2018 को उक्त राशि अपने अधिकारो को सुरक्षित रखते हुये अण्डर प्रोटेस्ट अनावेदक कार्यालय में जमा कर दी और राशि जमा करने के बाद भी अनावेदक से निवेदन किया कि वह आवेदक की समस्या का अतिशीघ्र निराकरण करे

लेकिन अनावेदक द्वारा न तो समस्या का निराकरण किया न आवेदक पर कोई कार्यवाही की और न ही बिल को संशोधित किया। अनावेदक की ओर से स्वयं कम्पनी के नियमों की अवहेलना व अवज्ञा की गई क्योकि किसी भी उपभोक्ता की ओर से दिये गये शिकायती आवेदन का निराकरण करना अनावेदक का कर्तव्य ही नही बल्कि उसका उत्तरदायित्व भी है लेकिन अनावेदक की ओर से अपने कार्य में गंभीर लापरवाही व मनमानी दिखाते हुये आवेदक की ओर से दिये गये आवेदन दिनांकित 21.08.2018 के अनुसार कोई कार्यवाही नही की और अनावेदक के उक्त कृत्य से दुखित व त्रसित होकर यह आवेदन श्रीमान के समक्ष न्याय प्राप्त करने बावत् प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन पर अनावेदक के अधीनस्थ बी.आई.सेल के निर्देश पर असत्य रूप से अधिरोपित की गई राशि 37,807/– रूपये को निरस्त कर संशोधित बिल प्रदान करने की कृपा करें तथा अण्डर प्रोटेस्ट जमा की गई राशि को आगामी बिल में समायोजित करने हेतु निर्देश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य जो न्यायोचित सहायता आवेदक व उसकी कम्पनी के हित में हो प्रदान करने की कृपा करे।

5. **अनावेदक का कथन :–**अनावेदक द्वारा दिनांक 14.12.18 को प्रकरण में कथन किया गया कि आवेदक के व्हाय फेज पर फेस मिसिंग पाया गया, जिसकी बी.आइ. सेल द्वारा दिनांक 06.08.17 से 11.12.17 तक की टेम्पर बिलिंग रूपये 37,807/– की बिलिंग की गई हैं, जो कि नियम अनुसार सही हैं एवं भुगतान योग्य हैं। अतः प्रकरण समाप्त करने कीकृपा करें।

6. **फोरम द्वारा की गई समीक्षा एवं निर्णयः–**आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा फोरम के समक्ष उपस्थित होकर किये गये कथनों की समीक्षा उपरांत यह पाया गया कि आवेदक मेसर्स श्री राधारानी इन्फ्राकोन प्रा.लि. ए.बी. रोड, मुरैना (म. प्र.) प्रो. श्री कपिल मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल, आयु 41 वर्ष के नाम से एक 3 फेज गैर घरेलू (LV 2.2) श्रेणी का विद्युत संयोजन क्रमांक 2504403–80–01–8069361828 संयोजित विद्युत भार 22600 वॉट हैं। आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उन्हें अनावेदक विद्युत कंपनी द्वारा उक्त विद्युत संयोजन के माह जून 2018 का विद्युत देयक राशि रूपये 98209/– तथा इसके अतिरिक्त राशि रूपये 37807/– का विद्युत देयक में अंकित कर दिया गया। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के वितरण केन्द्र गणेशपुरा से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि यह अतिरिक्त राशि अनावेदक कम्पनी के बी.आई.सेल, मुरैना के उपमहाप्रबंधक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन

पर स्थापित विद्युत मीटर की एम.आर.आई. कर रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया

(आर.के लढ़िया) (एस.एस. मंडलोई) (राजीव अग्रवाल)

निरंतर ....

कि आपके विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर कुछ कुछ समय तक एक फेस पर बंद दर्शा रहा हैं। इसके आधार पर यह बिलिंग की गई है। परिसर में जो विद्युत मीटर लगाया है वह विद्युत कम्पनी के द्वारा लगाया गया है। मीटर में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड या टेम्परिंग भी नहीं की गई हैं या ऐसा होना नही पाया गया । आवेदक द्वारा प्रति माह मीटर में दर्ज खपत अनुसार दिये गये विद्युत देयकों का नियमित रूप से नियमानुसार भुगतान भी किया जाता रहा हैं। अनावेदक कंपनी द्वारा एक तरफा मीटर की तकनीकी खराबी होना बताते हुए न तो आज दिनांक तक वह मीटर बदला हैं और निरंतर उसी मीटर से विद्युत की सप्लाई जारी है और मीटर बदलने की कोई कार्यवाही बी.आई.सेल द्वारा करना प्रस्तावित भी नहीं किया गया। इस तरह की मीटर में खराबी के लिये आवेदक को उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता और न ही उससे किसी धनराशि की मांग की जा सकती हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध हैं कि आवेदक के विद्युत संयोजन पर अनावेदक के अधीनस्थ बी.आई.सेल के निर्देश पर असत्य रूप से अधिरोपित की गई राशि रूपये 37807/– को निरस्त कर संशोधित विद्युत देयक प्रदान करें एवं राशि रूपये 37807/– भुगतान की जा चुकी हैं, उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित करने की कृपा करें।

आवेदक को बार बार सूचित किये जाने के बावजूद भी फोरम के समक्ष दिनांक 14.12.18, 10.01.19 एवं 07.02.19 को उपस्थित नहीं हुआ हैं। अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना)(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कण्डिका 3.25 (ग) के अनुसार **''जहां शिकायतकर्ता फोरम के समक्ष सुनवाई की दिनांक को उपस्थित रहने में असफल रहता हैं तो ऐसी दशा में फोरम या तो शिकायत को अनुपस्थिति–दोष के लिये खारिज कर सकेगा या इसे गुण–दोष के आधार पर विनिश्चत कर सकेगा।''**

अतः उक्त कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को संज्ञान में लेते हुए फोरम द्वारा गुण–दोष के आधार पर विनिश्चित किया जा रहा हैं।

अनावेदक द्वारा प्रकरण में कथन किया गया कि :–

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार पद क्रमांक 1 स्वीकार हैं।

2. आवेदक का पद दो जिस प्रकार से वर्णित हैं, स्वीकार नहीं, यह सही हैं कि अनावेदक के बिल में जून 2018 में जो 37807/– रूपये की राशि जोड़ी गई थीं, यह राशि मीटर द्वारा एक फेस की विद्युत ऊर्जा की खपत अंकित न कर पाने के कारण नियमानुसार जोड़ी गई थीं, क्योंकि आवेदक परिसर में लगा मीटर ए.एम.आर. श्रेणी का हैं जो कम्प्यूटराईज्ड रीडिंग सिस्टम पर आधारित हैं। यह मीटर उपभोक्ता सेवा उन्नयन के तहत लगाये गये हैं, जिनमें मानवीय दखल संभव नहीं हैं। इस मीटर में

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

सीटी का उपयोग किया जाता हैं। मूल करण्ट की केबिल सी.टी. के बीच में से होकर निकाली जाती हैं। सी.टी. रेशो के अनुसार करण्ट मीटर में जाता हैं। साथ ही केबल से टेप कर वोल्टेज की गणना की जाती हैं। एम.आर.आई रिपोर्ट में संलग्न (Annex.-1) उपभोक्ता के मीटर में एक फेज टेम्पर पाया गया था, जिसके कारण मीटर की आऊट गोईंग से तीन फेज सप्लाई तो आऊट गोईंग में की जा रही थीं, लेकिन एक फेज का पोटेंशियत, मीटर सर्किट में न जा पाने के कारण उस फेज की खपत मीटर रिकार्ड नहीं कर पा रहा था। आवेदक के परिसर में जो मीटर लगाया गया हैं, उसमें यकायक ही मीटर की सी.टी. में केबिल को पकड़े रखने वाले एक स्क्रू की पकड़ केबिल में से ढीली हो जाने के कारण उस फेज का वोल्टेज मीटर को नहीं मिल पा रहा था, जबकि करण्ट ट्रांसफार्मर के मध्य से निकली केबिल के माध्यम से उपभोक्ता के परिसर में उपयोग हेतु तीनो फेज उपलब्ध थें। यह भी स्वीकार हैं कि मीटर से कोई छेड़खानी नहीं की गई हैं। यह कहना सही हैं कि परिसर में थ्री फेस का लोड सर्किटों में बंटा हैं तथा यह कहना गलत हैं कि सिंगल फेस सप्लाई अवरूद्ध थीं तो सिंगल फेज उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा होगा एवं आवेदक द्वारा उक्त तीनों फेज ही विद्युत का आवश्कतानुसार उपयोग किया हैं। क्योंकि सी.टी. से तो तीनों फेज का करण्ट पास हो रहा था, तभी तो आवेदक के सभी उपकरण तीनों फेज पर बिना किसी रूकावट के संचालित थें। लेकिन मीटर को बाय फेज का वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था और उक्त एक फेज की खपत मीटर में दर्ज नहीं हो पा रही थीं एवं उक्त एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर एक फेज एनर्जी की बिलिंग सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के आधार पर बी.आई. सेल द्वारा की गई हैं, जो कि सहीं हैं एवं भुगतान योग्य है।

3. यह कि पद क्रमांक 3 जिस प्रकार से वर्णित हैं, स्वीकार नहीं है, क्योंकि अनावेदक कंपनी द्वारा जो 37807/– रूपये की राशि की मांग बिल में की गई हैं, वह नियमानुसार सही हैं एवं भुगतान योग्य हैं। क्योंकि उक्त राशि मीटर में एक फेज का वोल्टेज मिस हो जाने के कारण एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधार पर बिल में जोड़ी गई हैं। आवेदक के परिसर में बी.आई. सेल द्वारा आवेदक के प्रतिनिधि की

उपस्थिति में सुधार कार्य दिनांक 11.12.2017 को किया गया हैं। (संलग्न Annex-2) एवं जिस ढीलें स्क्रू, बोल्ट के कारण मीटर को एक फेज वोल्टेज का नहीं मिल पा रहा था, उसे बी.आई. सेल द्वारा आवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में टाईट कर दिया गया है। स्क्रू टाईट करने के उपरांत मीटर को तीनों फेजों की इनर्जी रिकार्ड करने हेतु तीनों फेज मिलने लगे हैं। इसलिये मात्र एक छोटी सी स्क्रू को टाईट करने के लिये उपभोक्ता परिसर का मीटर बदला जाना उचित नहीं था, क्यों कि आवेदक के यहॉ उच्च गुणवत्ता का मीटर लगा हैं। चूँकि उपभोक्ता द्वारा तीनों फेसों की इनर्जी का पूर्ण

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

उपयोग किया हैं। अतः आवेदक से एक फेज की इनर्जी का बिल, जो कि मीटर द्वारा उपरोक्त त्रुटि के कारण रिकार्ड नहीं की गई थीं, मांगा जाना न्यायोचित हैं।

4. यह कि आवेदक का पद 4 जिस प्रकार से वर्णित हैं, स्वीकार नहीं । उल्लेखनीय हैं कि इस मांग में कोई भी जुर्माना राशि, पेनाल्टी की बिलिंग नहीं की गई हैं। मात्र फेज टेम्पर के कारण छूटी हुई यूनिटों से संबंधित राशि का बिल किया गया हैं। (संलग्न Annex-3) यह सही हैं कि उक्त कनेक्शन बहुमंजिला भवन को बिजली सप्लाई करता हैं, लेकिन यह कहना गलत हैं कि जब एक फेस नहीं आया तो आवेदक द्वारा लाईटिंग को दूसरे फेस पर शिफ्ट कर खपत दर्ज हुई हैं। जबकि मीटर चैकिंग दिनांक के पूर्व के सभी बिलों में आवेदक के मीटर में कम खपत दर्ज हुई हैं। लेकिन बी.आई.सेल द्वारा मीटर के एक फेजस का स्क्रू बोल्ट आवेदक के प्रतिनिधित की उपस्थिति में टाईट कर देने के दिनांक 11.12.2017 के बाद से आवेदक के आगामी माह बिलों में सही मीटर खपत दर्ज हुई त्था आगामी वर्ष के समान माह में भी टेम्पर माहों की खपत की तुलना में अधिक रीडिंग दर्ज हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार हैंः–

माह	मीटर का एक फेज टेम्पर होने पर उक्त अवधि की यूनिट खपत	माह	मीटर सही होने के कारण समान महीनों की यूनिट खपत
09/17	2491	09/18	2943
10/17	3069	10/18	3167
11/17	2240	11/18	3141
12/17	2006	12/18	2661

जिससे स्पष्ट हैं कि उपरोक्त माहों मे मीटर द्वारा एक फेज की एनर्जी को काउण्ट ही नहीं किया हैं। अतः आवेदक से 37,807/– रूपये की इनर्जी खपत की मॉंग कर न्यायोचित हैं। यह समस्त गणना कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा आटोमेटिक प्रक्रिया द्वारा जनरेट रिपोर्ट के आधार पर की गई हैं। इस रिपोर्ट में कोई भी

मानवीय प्रविष्टि नहीं की गई हैं एवं आवेदक का यह कथन कि दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए 37807/– रूपये की अतिरिक्त मांग करना न्यायोचित नहीं हैं, अस्वीकार है तथा इससे कंपनी एवं उक्त बहुमंजिला भवन में निवासरत उपभोक्ताओं के हितों पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा हैं। क्योंकि आवेदक कंपनी का उपभोक्ता हैं और उक्त 37807/– रूपये की राशि आवेदक से मांग की जा रही हैं, जो कि अनुचित व्यापारिक प्रथा न होकर भूल–चूक लेनी देनी के सिद्धांतों पर होकर न्यायसंगत हैं जो कि म0प्र0 इलेक्ट्रिीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन द्वारा जारी सप्लाई कोड 2013 के चैप्टर 8 की कण्डिका 8.35 के प्रावधानों के तहत तथ्यात्मक आधार पर बिलिंग की

गई हैं। (Annex-5 पेज 49)। उक्त बिलिंग की राशि जमा करने बाबत आवेदक को पत्र क्रमांक 3213 दिनांक 19.05.2018 के द्वारा फेज टेम्पर बिलिंग जमा करने बाबत् लिख गया था। जिसे उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा लेने से मना कर दिया गया था तथा उपभोक्ता को मीटर चैकिंग वाली दिनांक को ही उक्त फेज मिसिंग का अनपूरक बिल आने बाबत् मौखिक सूचना दे दी गई थीं। आवेदक का कहना हैं कि मीटर की जॉच नहीं की गई, गलत हैं, क्योंकि बी.आई सेल द्वारा उपभोक्ता की उपस्थिति में (Annex-2) ही मीटर की जॉच उपरांत मीटर स्क्रू टाईट कर फेज मिसिंग टेम्परिंग दूर की गई हैं तथा आवेदक प्रतिनिधि के समक्ष सारी प्रक्रिया कर न्यायोचित कार्य किया गया हैं तथा अनावेदक कंपनी हमेशा ही उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करती हैं व जून 2018 के बिल में म.प्र. इलेक्ट्रिीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन द्वारा जारी सप्लाई कोर्ड 2013 के चैप्टर 8 की कण्डिका 8.33 के प्रावधानों के तहत बिल में जोड़ी गई राशि रूपये 37,807/– सही हैं। (Annex-5 पेज 48) जो कि निरस्तनीय न होकर जमा करने योग्य उचित राशि हैं, जिसके बारे में आवेदक भली भाँति जानता हैं। इसी कारण आवेदक द्वारा उक्त पूर्ण राशि 37,807/– रूपये का भुगतान दिनांक 23.08.18 को रसीद क्रमांक 92929/45 द्वारा किया जा चुका हैं।

5. यह कि अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन दिनांकित 21.07.18 का उत्तर आवेदक की ओर दिनांक 25.07.18 को पत्र क्रमांक 3479 से भेजा था, जिसे आवेदक प्रतिनिधि द्वारा लेने से इंकार कर दिया। अतः आवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त पत्र आवेदक के परिसर के मुख्य द्वारा के दृष्टव्य भाग पर चस्पा कर दिया था। चूँकि आवेदक की फेज टेम्पर की बिलिंग समाप्त करने की प्रार्थना अनुचित थीं। अतः स्वीकार किया जाना संभव नहीं था। अनावेदक द्वारा सेवा में कोई भी कमी नहीं की हैं। अनावेदक द्वारा आवेदक को कोई भी चेतावनी बिजली काटने बाबत् नहीं दी गई हैं तथा आवेदक द्वारा पूरा मामला समझ में आने पर स्वेच्छा से उक्त राशि

37,807/— रूपये का भुगतान अण्डर प्रोटेस्ट कंपनी कार्यालय में किया गया हैं, जिसके बारे में कार्यालय द्वारा बिलिंग सहीं होने बाबत् पत्र क्रमांक 3669 दिनांक 28.08.18 द्वारा सूचना दी गई हैं। राशि जमा करने के बाद आवेदक द्वारा अनावेदक से फेस टेम्पर बिलिंग समाप्त करने बाबत् जो भी अनुचित निवेदन किया गया हैं, उसका जवाब आवेदक को उपरोक्त पत्रानुसार दिया गया था क्योंकि आवेदक जानता था कि उसे नियमानुसार सही बिल जारी किया गया हैं। अनावेदक द्वारा किसी भी नियम की अव्हेलना या अवज्ञा नहीं की गई हैं, वरन् म0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमीशन द्वारा जारी सप्लाई कोड 2013 के चैप्टर 8 की कण्डिका 8.16 व 8.21 के प्रावधानों के तहत डिश—फंक्शनल अवधि की जॉच कर यूनिट की गणना की गई। (Annex-5 पेज 45 व 46) आवेदक के शिकायती आवेदन का जवाब भी आवेदक की ओर भेजा, जिसे आवेदक ने लेने से इंकार कर दिया गया था। अतः अनावेदक ने अपने कर्त्तव्यों

(आर.के लढ़िया) **(एस.एस. मंडलोई)** **(राजीव अग्रवाल)**

निरंतर ....

का पूर्ण निर्वहन किया। अनावेदक द्वारा कोई भी लापरवाही या मनमानी नहीं की हैं। चूँकि उक्त फेज मिसिंग की इनर्जी खपत की बिलिंग करना न्यायोचित था। अतः आवेदक की अनुचित माँग दिनांकित 21.08.18 पर कार्यवाही करना संभव नहीं था। जिसका जवाब आवेदक की ओर पत्र क्रमांक 3669 दिनांक 28.08.18 से भेजा गया था, जिसे भी आवेदक प्रतिनिधि ने लेने से मना कर दिया था।

अतः आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन क्रमांक 80—01—8069361828 पर बी.आई. सेल द्वारा की गई बिलिंग 37,807/— रूपये नियमानुसार सही हैं। इस गणना का आधार कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः जनरेटेड रिपोर्ट हैं। जो क आवेदक द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा का ही बिल हैं। अतः आवेदक द्वारा जमा की गई राशि 37,807/— को आगामी बिलों में समायोजित किया जाना संभव नहीं हैं। क्योंकि उक्त राशि उपभोक्ता द्वारा खपत की जा चुकी विद्युत ऊर्जा की हैं। आवेदक कोई भी न्यायोचित सहायता पाने का अधिकारी नहीं हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि आवेदक द्वारा असत्य आधारों पर प्रस्तुत किये गये आवेदन को निरस्त करने की कृपा करें।

आवेदक को अनावेदक द्वारा माह जून 2018 के विद्युत देयक में जो अतिरिक्त राशि रूपये 37,807/— जोड़कर दी गई थीं यह राशि मीटर द्वारा एक फेज पर विद्युत ऊर्जा की खपत दिनांक 06.08.17 से 11.12.17 तक की अवधि में अंकित न कर पाने के कारण नियमानुसार उक्त अवधि दिनांक 06.08.17 से 11.12.17 तक मीटर में विद्युत ऊर्जा मात्र दो फेज पर अंकित हुई थीं। अतः शेष एक व्हाय फेज की विद्युत ऊर्जा की बिलिंग राशि रूपये 37,807/— जोड़ी गई हैं। आवेदक के परिसर में लगा विद्युत मीटर ए.एम.आर. श्रेणी का हैं, जो कम्प्यूटराईज्ड रीडिंग सिस्टम पर आधारित हैं। यह मीटर उपभोक्ता सेवा उन्नयन के तहत माह

अगस्त 2017 में लगाये गये हैं, जिसमें मीटर वाचन के लिये मानवीय दखल नहीं हैं। विद्युत ऊर्जा की खपत को ''मापने (Measure)'' के लिये इसमें मुख्य करण्ट एवं वोल्टेज दो अवयव हैं। विद्युत मीटर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिये 3 नंबर सीटी, मीटर में इनबिल्ड रहती है। अतः मुख्य विद्युत सप्लाई के 3 फेज के अलग अलग केबल इन सीटी क्वायल के बीच से होकर मीटर से बाहर (Out) हो जाते हैं और इससे परिसर में स्थापित उपकरणें को विद्युत प्रदाय किया जाता हैं। सीटी रेशो(करण्ट क्वायल रेशो) अनुसार करण्ट मीटर में जाता हैं। इसी प्रकार स्क्रू द्वारा केबल से टेप कर वोल्टेज मीटर में जाता है और विद्युत मीटर में विद्युत ऊर्जा की गणना करता हैं। एम.आर.आई. रिपोर्ट में आवेदक के परिसर में स्थापित मीटर में एक फेज (Y) पर टेम्पर पाया गया था, जिसके कारण मीटर की आऊट गोइंग से तीन फेस पर सप्लाई तो जा रही थीं, लेकिन मीटर में एक फेज का

पोटेंशियल(Votage) (मीटर सर्किट) मीटर में न जा पाने के कारण उस (Y) फेज की विद्युत खपत(विद्युत ऊर्जा)मीटर में दर्ज नहीं हो पा रही थीं। आवेदक के परिसर में जो मीटर लगाया गया हैं, उसमें मुख्य केबल मीटर के अन्दर तीनों सी.टी. क्वायल से होकर मीटर से बाहर निकलती है तथा मीटर के अन्दर ही मीटर को वोल्टेज प्राप्त हो, इसलिये मीटर टर्मिनल में तीनों फेजों में स्क्रू लगे होते हैं उन्हें टाईट कर मुख्य केबल के कवर पर लगे इंसुलेशन के भेदकर कोर कण्डक्टर में स्क्रू के सम्पर्क होने से मीटर में वोल्टेज प्राप्त होता हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा दर्ज होती हैं। इसी प्रकार मीटर में तीनों फेज पर तीन स्क्रू लगे होते हैं।

अतः आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर के पोटेंशियल (Voltage) प्राप्त होने वाले एक स्क्रू मीटर के अन्दर ढीला होने के कारण स्पार्क होकर मीटर को (Y) फेज की विद्युत खपत दिनांक 06.08.2017 से 11.12.2017 तक जब तक कि स्क्रू टाईट न कर दिया गया, कम दर्ज हुई। जिसके लिये न तो आवेदक द्वारा मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई और न ही अनावेदक द्वारा कोई त्रुटि की, क्योंकि विद्युत मीटर में 06. 08.2017 के पूर्व एवं स्क्रू टाईट करने के बाद दोनो स्थिति में संगत माहों में दर्ज खपत अधिक हैं, जबकि 06.08.2017 से 11.12.2017 की अवधि में जब मीटर को (Y) फेज की (Voltage) पोटेंशियल बंद अवधि में खपत कम दर्ज हुई हैं, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता पासबुक के अवलोकन करने से भी होती हैं तथा दिनांक 11.12.2017 को आवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अनावेदक कंपनी के अधिकारी द्वारा विद्युत मीटर को चैक कर उसका (Y) फेज का स्क्रू टाइट कर मीटर में वोल्टेज डिस्प्ले चैक किया गया तथा टॉग टेस्टर से तीनों फेज का करण्ट मीटर डिस्प्ले एवं टॉग टेस्टर से चैक किया गया। आवेदक के विद्युत मीटर में कोई खराबी नहीं थीं।

अतः आवेदक के विद्युत संयोजन क्रमांक 2504403–80–8069361828 पर स्थापित विद्युत मीटर में Y फेज का स्क्रू ढीला होने के कारण मीटर में Y फेज पर वोल्टेज न मिलने के कारण दर्ज विद्युत खपत दिनांक 06.08.2017 से 11.12.2017 तक की अवधि में दो फेज की खपत 10273 यूनिट दर्ज हुई हैं। अतः उक्त अवधि में Y फेज पर 5137 यूनिट की बिलिंग राशि रूपये 37807/– का भुगतान आवेदक द्वारा अनावेदक कंपनी को किया गया हैं, जो कि नियमानुसार एवं न्यायसंगत हैं।

अतः आवेदक की शिकायत निराकृत कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

दोनों पक्षों को इस आदेश की प्रति, नियमानुसार निःशुल्क भेजी जाए।पालन प्रतिवेदन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में एक प्रति आवेदक को प्रेषित करते हुए फोरम को भी प्रेषित की जायें।

प्रकरण : निर्णीत
आदेश : पारित
दिनांक : 16/02/2019
स्थान : भोपाल

(आर.के लढ़िया) सदस्य(राजस्व एवं लेखा) **(एस.एस. मंडलोई) सदस्य(अभियांत्रिकी)** **(राजीव अग्रवाल) अध्यक्ष**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

(भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र)

पुराना पावर हाऊस, चांदबड़, भोपाल

(दूरभाष नम्बर : 0755–2747352 ई–मेल –ecgrfbpl.bhopal@mpcz.co.in)

क्रमांक/वि.उ.शि.नि.फोरम/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

श्रीमती राधारानी इन्फाकोन प्रा.लि.,
आशीर्वाद रॉयल रेसीडेंसी, ए.बी. रोड,
मुरैना (म.प्र)

विषयः–फोरम के निर्णय दिनांक 16/02/2019के संबंध में।

–0–

महोदय,

आपकी शिकायत (प्रकरण क्रमांक जी.टी.–83/2018) दिनांक17.11.2018 का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा दिनांक 16/02/2019 को किया जा चुका हैं। फोरम द्वारा पारित निर्णय की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निःशुल्क प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,

चांदबढ़, भोपाल

प्रतिलिपिः–

1. उपमहाप्रबंधक (शहर संभाग, संचा./संधा.), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., मुरैना –1 (म.प्र.)– लेख हैं कि प्रकरण क्रमांक जी.टी.–83/2018 दिनांक 17.11.2018 में फोरम के निर्णय दिनांक 16/02/2019 इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नः–निर्णय की प्रति।

सदस्य(अभियांत्रिकी)
वि.उप.शिका.निवा.फोरम,
चांदबढ़, भोपाल